



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274150
CG-DL-E-04072026-274150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]
No. 182]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जाँच परिणाम

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

(मामला सं. एडी (ओआई) -17/2025)

विषय : इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच

फा. सं. 06/20/2025-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. यतः, इंडियन पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ("आईपीएमए" या "आवेदक एसोसिएशन") ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी ("प्राधिकारी") के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें इंडोनेशिया ("संबद्ध देश") के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 'वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड' ("संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद") के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक एसोसिएशन की निम्नलिखित सदस्य कंपनियों (जिन्हें इसके बाद "आवेदक घरेलू उत्पादक" भी कहा गया है) ने वर्तमान जांच के लिए जानकारी प्रदान की है:
1. आदित्य बिड़ला रीयल एस्टेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड)
 2. इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड
 3. जेके पेपर लिमिटेड
 4. आईटीसी लिमिटेड
 5. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड (टीएनपीएल)
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/20/2025-डीजीटीआर दिनांक 30 जून 2025 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई, ताकि कथित पाटन की माजूदगी, मात्रा और प्रभाव तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जो इस क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

क. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया है:

क.1 जांच की शुरुआत

- i. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आरोप लगाया गया था।
- ii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले, भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में सूचित किया था।
- iii. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 जून 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी करके संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की।
- iv. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के आधार पर भारत स्थित दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जाँच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

क.2 आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिचालन

- i. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत स्थित दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को आवेदन के अगोपनीय संस्करण (एनसीवी) की एक प्रति प्रदान की।
- ii. अनुरोध किए जाने पर आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।

क.3 संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भागीदारी

- i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।
- ii. भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क. एपीपी इंडोनेशिया

ख. एशिया पैसिफिक रिसोर्सेज इंटरनेशनल लिमिटेड

ग. पीटी इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके

- iv. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. पीटी रियाउ अंदासन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल, इंडोनेशिया

i. एशिया पैसिफिक पेपरबोर्ड ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

ख. पीटी इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके, इंडोनेशिया

ग. पीटी. पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स, इंडोनेशिया

i. गिलस्टेड पैसिफिक (एचके) लिमिटेड, हांगकांग

ii. गोल्डन प्रॉफिट ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

क.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जाँच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति के साथ आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी:

1. अद्विक एंटरप्राइजेज

2. ऑल इंडिया ट्रेडिंग सॉल्यूशंस

3. अमन पेपर कंपनी

4. ए.के. ट्रेडिंग (पेपर) प्राइवेट लिमिटेड

5. एशिया पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड

6. ब्रिड पेपर्स
7. एक्लाट पेपर्स
8. सी.एच. जावा कंपनी
9. छगनराज कंपनी
10. चिमनलाल फेन पेपर प्राइवेट लिमिटेड
11. दीपक पेपर कंपनी
12. फ्रोंट्रो कन्वर्टर
13. ग्रीन ग्लोब इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
14. गर्ग पेपर मार्ट
15. हीरो मल्टी पेपर प्राइवेट लिमिटेड
16. आई एन इम्पेक्स
17. जाना एजेसीज एंड इंडस्ट्रीज
18. कागज़ डिजिटल पेपर प्राइवेट लिमिटेड
19. कोकुयो रिद्धि पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20. लक्ष्या पेपर
21. मंदाकिनी सील्स
22. एम.एल.एम. (इंडिया) लिमिटेड
23. नरसिंह दास एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
24. पेपर कॉर्पोरेशन
25. पीएलजी इम्पेक्स
26. पीएनजी ग्लोबल
27. प्रगति पेपर कंपनी
28. प्रिस्मा वर्ल्ड
29. प्रभात पेपर मार्ट
30. आरडी इम्पेक्स
31. राजीव रंजन
32. सार्थक एंटरप्राइजेज
33. शांति कॉर्पोरेशन
34. श्री अष्टविनायक पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
35. श्री कृष्णा इम्पेक्स
36. शिवानंद मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
37. श्री अय्यप्पा पॉली पेपर एंड बोर्ड्स
38. स्पेशलिटी पेपर एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
39. सुप्रीम इंडिया कंपनी
40. स्वास्तिक पेपर कंपनी
41. श्रीनिवास पेपर्स इम्पेक्स एलएलपी
42. सिंडिकेट प्रिंटर्स लिमिटेड
43. सिंघानिया एलु फॉयल कंटेनर्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी
44. टीएम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
45. टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड
46. टेम्पल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
47. टेटा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
48. यूफ्लेक्स लिमिटेड
49. वीनस पेपर कॉर्पोरेशन
50. विबग्योर ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड

51. वाइटल पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

- ii. वर्तमान जांच में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

क.5 एसोसिएशनों द्वारा भागीदारी

- i. जाँच शुरुआत अधिसूचना और आवेदन का अगोपनीय संस्करण निम्नलिखित एसोसिएशनों को भेजा गया था:

क. एसोचैम

ख. सीआईआई

ग. फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया

घ. फिक्की

क.6 जांच की अवधि और क्षति अवधि

- i. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। क्षति जांच अवधि में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि शामिल है।

क.7 आगे की प्रक्रियाएं

- i. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 2 सितंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया।
- ii. डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था कि वे क्षति अवधि और पीओआई के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार विवरण प्रदान करें। प्राधिकारी ने सौदों की उचित जांच के बाद आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना तथा आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने ईआईक्यू के उत्तर प्रस्तुत किए:

1. घरेलू उद्योग
2. पीटी रियाउ अंदालन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल
3. एशिया पैसिफिक पेपरबोर्ड ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड
4. पीटी इंडाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके
5. पीटी. पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स
6. गिलस्टेड पैसिफिक (एचके) लिमिटेड
7. गोल्डन प्रॉफिट ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड

- iv. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अभ्यावेदनों के अगोपनीय संस्करणों का अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- v. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 28 जनवरी, 2026 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से इसके बाद लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
- vi. वर्तमान जांच में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों की ओर से अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे:
1. घरेलू उद्योग
 2. इंडोनेशिया सरकार
 3. पीटी रियाउ अंदालन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल
 4. एशिया पैसिफिक पेपरबोर्ड ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड
 5. पीटी इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके
 6. पीटी. पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स
 7. गिलस्टेड पैसिफिक (एचके) लिमिटेड
 8. गोल्डन प्रॉफिट ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड
- vii. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के लिए क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी का निर्धारण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और विनिर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर किया गया है।
- viii. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए थे, प्राधिकारी द्वारा वर्तमान प्रकटन विवरण में उचित रूप से विचार किया गया है।
- ix. गोपनीयता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहाँ भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को प्रस्तुत की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- x. नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक जानकारी तक पहुँच देने से मना किया है या अन्यथा जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xi. प्राधिकारी ने जांच के दौरान, जहाँ तक संभव हो, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का उस सीमा तक सत्यापन किया जहाँ तक उन्हें संगत, व्यावहारिक और आवश्यक माना गया।

- xii. एक प्रकटन विवरण, जिसमें जांच के वे अनिवार्य तथ्य शामिल हैं जो अंतिम जाँच परिणाम का आधार बने हैं, 18 जून, 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 22 जून, 2026 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे संगत और दोहराई गई नहीं पाई गईं, इन अंतिम जाँच परिणाम में विचार किया गया है।
- xiii. प्राधिकारी ने अंतिम जाँच परिणाम जारी करने में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच के दौरान उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई जानकारी और किए गए अनुरोधों की, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे और वर्तमान उद्देश्यों के लिए संगत माने गए थे, जांच की थी।
- xiv. इस अंतिम जाँच परिणाम में, "***" चिह्न किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुसार गोपनीय मानी गई जानकारी को दर्शाता है।
- xv. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 85.43 रूपये है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जांच की शुरुआत के चरण में, निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में माना गया था:

"विचाराधीन उत्पाद सफेद/वर्जिन वुड पल्प से निर्मित मल्टी-लेयर बोर्ड है, चाहे वह कोटेड हो या अनकोटेड हो, जिसे 'वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड' के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद आपस में जुड़ी कागज की कई परतों से बना होता है। विचाराधीन उत्पाद पेड़ों के रेशों से बनी लुगदी से तैयार होता है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में आता है। विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड (एलपीबी) शामिल हैं, जो सभी 140 से 450 जीएसएम (जीएसएम) की सीमा में हैं। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: वर्जिन ग्रेड, जो पेड़ों के रेशों से निर्मित होता है, और रीसाइक्ल्ड ग्रेड, जो पुनरुद्धारित कागज और पेपरबोर्ड से प्राप्त रेशों से निर्मित होता है।"

लेपित/अलेपित सिगरेट बोर्ड और रीसाइक्ल्ड/ब्राउन पल्प या फाइबर से बने पेपरबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।"

ख.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा कच्ची सामग्री अर्थात् वर्जिन पल्प के आधार पर परिभाषित किया गया है। तथापि, परिभाषित उत्पाद का दायरा रीसाइक्ल्ड और वर्जिन पल्प के संयोजन से बने उत्पादों के संबंध में स्पष्ट नहीं है। यदि किसी भी रीसाइक्ल्ड और वर्जिन पल्प के संयोजन से बने उत्पादों को शामिल किया गया है, तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- ii. विचाराधीन उत्पाद का दायरा अत्यधिक व्यापक है और इसमें विभिन्न ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जो आपस में भिन्न हैं और उन्हें समान वस्तुएं नहीं माना जा सकता है।

- iii. एसबीएस और एलपीबी उत्पाद के विशिष्ट प्रकार हैं, जिनका कच्ची सामग्री, कीमत निर्धारण और गुण एफबीबी और आर्टबोर्ड की तुलना में भिन्न हैं। ऐसी वस्तुओं या उत्पादों के विशिष्ट प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे इंडोनेशिया में निर्मित या वहां से निर्यात नहीं किए गए हैं और जांच की अवधि के दौरान भारत में उनका पाटन नहीं किया गया है।
- iv. इंडोनेशिया और चीन से संबद्ध वस्तु के आयात की सब्सिडीरोधी जांच में घरेलू उद्योग द्वारा प्रिंटिंग अनुप्रयोग के लिए आयात किए जाने वाले 'टू-साइडेड कोटेड आर्टबोर्ड' को बाहर रखा गया है। चूंकि वही घरेलू उद्योग वर्तमान जांच का हिस्सा है, इसलिए इसे वर्तमान जांच में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- v. जाँच शुरुआत अधिसूचना में सूचीबद्ध एचएस कोड अत्यधिक व्यापक हैं। उत्पादकों/निर्यातकों ने केवल 48102900 और 48119099 के अंतर्गत ही निर्यात किया है।
- vi. आवेदक को यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रदान करने चाहिए कि आवेदन में उल्लिखित सभी कोडों के अंतर्गत आयात किए गए हैं।
- vii. विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस कोड को एचएस कोड के विवरण और भारत के वास्तविक आयात आंकड़ों तक सीमित किया जाना चाहिए।
- viii. चूंकि प्राधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि रीसाइक्ल्ड पल्प वाले उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए केवल उन्हीं एचएस कोडों पर विचार किया जाना चाहिए जो संशोधित उत्पाद विवरण के अनुरूप हों और वास्तविक आयात आंकड़ों द्वारा समर्थित हों।

ख.2. घरेलू उद्योग के विचार

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।
 - ii. प्राधिकारी यह स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रस्तावित विचाराधीन उत्पाद में 100% सफेद/वर्जिन वुड पल्प से बने उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे लेपित हों या नहीं। विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण रीसाइक्ल्ड पल्प का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है।
 - iii. विचाराधीन उत्पाद का आयात घरेलू उद्योग द्वारा अभिज्ञात किए गए विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है। शुल्क केवल उन उत्पादों पर लगाया जाएगा जो अधिसूचित एचएस कोड के अंतर्गत आयातित उत्पाद विवरण के अंतर्गत आते हैं, जिससे हितबद्ध पक्षकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - iv. विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जिनमें एफबीबी, एसबीएस, एलपीबी, आर्टबोर्ड और कप स्टॉक शामिल हैं, जिनके विवरण अलग-अलग हैं। इस कारण से, शुल्क के संभावित अपवंचन से बचने के लिए सभी एचएस कोडों को शामिल करना आवश्यक है।

- v. भले ही प्रतिवादी निर्यातकों ने दो एचएस कोडों के अंतर्गत निर्यात किया हो, फिर भी उत्पाद का आयात विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत किया गया है। ऐसा हो सकता है कि प्रतिवादी निर्यातक इंडोनेशिया से एकमात्र निर्यातक न हों।
- vi. संबद्ध और गैर-संबद्ध देशों से कुल आयात मात्रा और मूल्य निर्धारित करने के लिए भी सभी एचएस कोडों पर विचार करना आवश्यक है।
- vii. एलपीबी और एसबीएस को बाहर रखना उचित नहीं है क्योंकि जिस उत्पाद का आयात नहीं किया गया है उसे बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निर्यातक शुल्क लगाने के बाद इन उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं। घरेलू उद्योग ने संबंधित उत्पाद का उत्पादन किया है, और मशीनरी, कच्चा माल, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन तकनीक और उत्पादन के अन्य कारक विभिन्न उत्पाद प्रकारों के लिए समान या समरूप हैं।
- viii. समान वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति का निर्धारण ऐसी वस्तु के आयात के बिना नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने एलपीबी और एसबीएस का उत्पादन और बिक्री की है, अतः इसे उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है। यह ग्लूकोसिनेट और उसके सॉल्ट, आइसोब्यूटिलीन रबर (आईआईआर) और पेरॉक्सोसल्फेट्स (परसल्फेट्स) के आयातों पर पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी पिछले जांच परिणाम के अनुरूप है।
- ix. एसबीएस और एलपीबी तथा अन्य प्रकार के वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के लिए विविनिर्माण संयंत्र और उपकरण समान हैं। इस प्रकार, भले ही निर्यातकों/उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित उत्पादों का निर्यात नहीं किया हो, इंडोनेशिया के उत्पादकों के पास एलपीबी और एसबीएस का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता है।
- x. घरेलू उद्योग पिछले 16 महीनों से इंडोनेशिया से होने वाले पाटित आयातों से क्षतिग्रस्त है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि जैसे ही पाटन शुरू हो, वह अलग-अलग प्रकारों के लिए प्राधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत करे।
- xi. आवेदन में पाटन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य शामिल हैं और प्रत्येक उत्पाद प्रकार के पाटन की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xii. कोलंबिया - बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड से फ्रोजन फ्राइज पर पाटनरोधी शुल्क [डब्ल्यूटीडीएस591/7] के मामले में, डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना था कि अनुच्छेद 5(2) के अंतर्गत उन उत्पाद प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है, जिनका आयात नहीं किया गया है।
- xiii. उत्पादों के विभिन्न प्रकारों में समान गुण होते हैं। डब्ल्यूटीओ या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद आंतरिक रूप से पूरी तरह समरूप हो, और उन उत्पादों पर शुल्क की मांग की जा सकती है जिनका पाटन किया गया है और जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- xiv. प्रस्तावित पीसीएन को अंतिम रूप दिया जा सकता है क्योंकि वे चीन जनवादी गणराज्य और चिली से होने वाले आयातों की चल रही जांच के अनुरूप हैं।
- xv. विभिन्न पीसीएन का प्रस्ताव केवल निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे उत्पाद भिन्न हैं और उत्पाद के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं।

- xvi. सभी उत्पाद प्रकारों में सामान्य मूलभूत विशेषताएं जैसे विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र और उपकरण, कच्चा माल, उत्पादन कौशल, बाजार की धारणा, कार्य और उपयोग, कीमत निर्धारण आदि समान हैं। इन उत्पादों में अलग-अलग अंतिम-उपयोग के आधार पर संशोधन किए जाते हैं, जिससे ये प्रकार आपस में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकते हैं। यह बात इन प्रकारों को एक ही विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा होने से नहीं रोकती है।
- xvii. चीन से एल्युमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच [फा. सं. 6/27/2020-डीजीटीआर] में, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि आपस में गैर-परिवर्तनीय उत्पाद प्रकारों को बाहर रखना उचित नहीं है।
- xviii. यदि निर्यातकों ने अतीत में एलपीबी और एसबीएस का निर्यात नहीं किया है और भविष्य में भी ऐसा करने की उनकी कोई योजना नहीं है, तो उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने रीसाइक्ल्ड पल्प और रीसाइक्ल्ड एवं वर्जिन कच्ची सामग्री के संयोजन से बने वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद केवल 100% सफेद/वर्जिन वुड पल्प से निर्मित है।
9. एसबीएस और एलपीबी को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी की यह स्थापित प्रथा रही है कि किसी उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से केवल तभी बाहर रखा जाता है जब उस उत्पाद का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और वह आयातित वस्तु के समान वस्तु नहीं बनती है। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान व्यापारिक बाजार में एसबीएस और एलपीबी का विनिर्माण और आपूर्ति की है। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से एसबीएस और एलपीबी का कोई आयात नहीं हुआ है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी को एसबीएस और एलपीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं मिलता है।
10. यह दलील दी गई है कि एलपीबी और एसबीएस अलग उत्पाद हैं जिनका संबद्ध देश से आयात नहीं किया गया है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद 'वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड' है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एलपीबी और एसबीएस शामिल हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि ऐसे उत्पाद ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं। एलपीबी और एसबीएस दोनों ही पेपरबोर्ड हैं, जिनमें कई परतें होती हैं और इनका विनिर्माण वर्जिन वुड पल्प का उपयोग करके किया जाता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि उक्त उत्पादों का विनिर्माण उसी संयंत्र और मशीनरी पर किया जा सकता है। किसी भी मामले में, यह नोट किया जाता है कि उत्पाद के दायरे के लिए आंतरिक रूप से समरूप होना आवश्यक नहीं है। *ईसी-सैल्मन (नार्वे) (डीएस337)* में पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि डब्ल्यूटीओ करारों के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि उत्पाद का दायरा केवल एक ही उत्पाद श्रेणी से निर्मित हो। इसलिए, उत्पाद के विभिन्न प्रकारों को उत्पाद के दायरे के अंतर्गत कवर किया जा सकता है।

"7.53 हमारे विचार में, भले ही यह मान लिया जाए कि अनुच्छेद 2.6 के अंतर्गत समान उत्पाद का निर्धारण करने में समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में समानता के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है — जो मुद्दा हमारे समक्ष नहीं है और जिस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं — इसका अर्थ यह नहीं होगा कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को रेखांकित करने के लिए

विचाराधीन उत्पाद में शामिल वस्तु की श्रेणियों के बीच 'समानता' का मूल्यांकन आवश्यक है। केवल यह कहना कि समान उत्पाद के प्रश्न पर विचार करते समय विचाराधीन उत्पाद को 'समग्र रूप से' माना जाना चाहिए, इस निष्कर्ष को उत्पन्न नहीं करता है कि विचाराधीन उत्पाद स्वयं आंतरिक रूप से एक समरूप उत्पाद होना चाहिए। हम नार्वे द्वारा भरोसा की गई 'यूएस - सॉफ्टवुड लम्बर वी' में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं जो इसके विपरीत संकेत दे। विचाराधीन उत्पाद को 'समग्र रूप से' मानने का अर्थ यह है कि उस उत्पाद के लिए एक एकल पाटन मार्जिन की गणना की जाती है, चाहे उसे कैसे भी परिभाषित किया गया हो, लेकिन यह उस उत्पाद के दायरे के बारे में कुछ नहीं कहता है।"

11. इस प्रकार, ये उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का एक हिस्सा हैं और लागत अंतर के कारण तथा निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पीसीएन में अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकार एक ही वस्तु का गठन करते हैं और यदि घरेलू उद्योग भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु का विनिर्माण कर रहा है, तो उत्पाद प्रकारों को बाहर रखना उचित नहीं होगा।
12. आवेदक ने अपने आवेदन में पीसीएन का प्रस्ताव किया था, और प्राधिकारी ने इस जांच को शुरू करते समय इसे अपनाया था। पीसीएन पद्धति संबंधी अनुरोधों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने विभिन्न उत्पाद प्रकारों के आधार पर पीसीएन का अनुरोध किया है जिसमें सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड, टू-साइड कोटेड बोर्ड / आर्टबोर्ड, फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड, कप स्टॉक और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड शामिल हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन चीन जनवादी गणराज्य और चिली से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर हाल ही में संपन्न हुई पाटनरोधी जांच के अनुरूप थे। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए इस पीसीएन को अपनाने के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक द्वारा प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही किसी वैकल्पिक पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है।
13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप दिया गया है।

क्र.सं.	विवरण	कोड
1.	सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड	एसबीएस
2.	दो तरफ से कोटेड बोर्ड/आर्ट बोर्ड	एटीबी
3.	फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड	एफबीबी
4.	कप स्टॉक	ग्राहकों
5.	लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड	एलपीबी
6.	अन्य	ओटीएच

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी रियाउ अंदाजन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल और एशिया पैसिफिक पेपरबोर्ड ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड द्वारा 14 मई 2026 को एक पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें चीन और चिली से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम के साथ-साथ इंडोनेशिया से 'मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड' के आयातों की चल रही सब्सिडी-रोधी जांच के अनुरूप "प्रिंटिंग अनुप्रयोग के लिए टू-साइडेड आर्टबोर्ड" को बाहर रखने का अनुरोध किया गया था। इंडोनेशिया के उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत पत्र के उत्तर में, घरेलू उद्योग ने दिनांक 29 मई 2026 को एक पत्र प्रस्तुत किया और अनुरोध किया है कि वह इस प्रकार के अपवर्जन का विरोध नहीं करता है तथा प्राधिकारी उपरोक्त जांचों के

अनुरूप उत्पाद के दायरे पर विचार कर सकते हैं। चूंकि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच अवधि के दौरान प्रिंटिंग अनुप्रयोग के लिए टू-साइडेड आर्टबोर्ड के समान वस्तु को दर्शाने वाली जानकारी प्रस्तुत नहीं की है और इस तरह के अपवर्जन का विरोध नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी इसे वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखती हैं।

15. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि तथापि वर्तमान जांच में किसी भी हितबद्ध पक्ष ने लिक्विड पैकेजिंग सामग्री के लिए प्लास्टिक सामग्री, एल्युमिनियम या अन्य धातु से लेपित, अलेपित या लैमिनेटेड चार या अधिक परतों वाले पेपरबोर्ड को बाहर रखने का अनुरोध नहीं किया है, फिर भी घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच अवधि के दौरान इसके समान वस्तु को दर्शाने वाली जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की है। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य और चिली से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी जांच में जारी अंतिम जाँच परिणाम के अनुरूप उक्त उत्पादों को बाहर रखती हैं।
16. उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकारी वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे को इस प्रकार मानती है:

"विचाराधीन उत्पाद केवल सफेद / वर्जिन वुड पल्प से निर्मित मल्टी-लेयर बोर्ड है, चाहे वह कोटेड हो या अनकोटेड, और इसे 'वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड' के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद आपस में जुड़ी कागज की कई परतों से निर्मित होता है। विचाराधीन उत्पाद पेड़ों के रेशों से बनी लुगदी से तैयार होता है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में आता है। विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड (एलपीबी) शामिल हैं, जो सभी 140 से 450 जीएसएम (जीएसएम) की सीमा में हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- i. *रीसाइक्लड/ब्राउन पल्प या फाइबर, अथवा रीसाइक्लड पल्प और वर्जिन पल्प के किसी भी अनुपात में संयोजन का उपयोग करके निर्मित पेपरबोर्ड।*
 - ii. *लेपित/अलेपित सिगरेट बोर्ड।*
 - iii. *मुद्रण के प्रयोजनों के लिए आयात किए जाने पर टू-साइड कोटेड आर्टबोर्ड।*
 - iv. *लिक्विड पैकेजिंग सामग्री के लिए प्लास्टिक सामग्री, एल्युमिनियम या अन्य धातु से लेपित, अलेपित या लैमिनेटेड चार या अधिक परतों वाले पेपरबोर्ड।"*
17. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के अंतर्गत एचएस कोड 4805 9100, 4805 9200, 4805 9300, 4810 9200 और 4810 9900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने बताया है कि उत्पाद का आयात शीर्ष 4802, 4805, 4810, 4811 और 4819 सहित 32 एचएस कोड के अंतर्गत किया जा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का आयात मुख्य रूप से 4805 और 4810 के अंतर्गत किया जा रहा है। तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ इन्हीं पर विचार किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
18. वर्तमान जांच के लिए विचार किए गए एचएस कोड के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का आयात कई एचएस कोड

के अंतर्गत किया गया है। पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली किसी भी अधिसूचना के अंतर्गत अधिरोपण बहुत विशिष्ट होता है और इसके लिए आवश्यक है कि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले विवरण और टैरिफ वर्गीकरण दोनों मानदंड पूरे होने चाहिए। चूंकि शुल्क केवल निर्दिष्ट एचएस कोड के अंतर्गत आयात किए जाने पर विचाराधीन उत्पाद पर ही लगाया जाता है, इसलिए किसी भी एचएस कोड को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि उन सभी एचएस कोड पर विचार न करने से, जिनके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का आयात किया गया है, भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयात की जांच के साथ-साथ भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग के विश्लेषण में गड़बड़ी हो जाएगी।

19. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि प्राधिकारी ने स्पष्ट किया है कि रीसाइक्लड पल्प वाले उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए केवल संगत एचएस कोड पर ही विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रीसाइक्लड कागज के संबंध में उत्पाद के दायरे को स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न एचएस कोड के अंतर्गत किया जा रहा है। वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने केवल उपर्युक्त परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर ही विचार किया है, जब उन्हें विभिन्न एचएस कोड के अंतर्गत आयात किया जाता है। रीसाइक्लड पेपर बोर्ड और उत्पाद के दायरे से बाहर रखे गए अन्य उत्पादों के आयात को विचार में ली गई आयात मात्रा से पहले ही बाहर कर दिया गया है। तथापि, इससे उन एचएस कोड में कोई बदलाव नहीं पाया गया है जिनके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का आयात किया गया है।
20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद वस्तु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के 'समान वस्तु' माना जाता है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

ग.2. घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. आवेदक घरेलू उत्पादकों के अलावा, भारत में समान वस्तु का केवल एक ही अन्य घरेलू उत्पादक है, जिसका नाम वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड है। उक्त उत्पादक ने वर्तमान जांच का समर्थन किया है।

- ii. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक या निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
- iii. भारत में कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक घरेलू उत्पादकों का एक प्रमुख हिस्सा बनता है और वे वर्तमान जांच में 'घरेलू उद्योग' का निर्माण करते हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में 'घरेलू उद्योग' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" से अभिप्राय उन घरेलू उत्पादकों से है जो समग्र रूप से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे हुए हैं या जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, यदि ऐसे उत्पादक कथित रूप से पाटन की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों तो उस स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्दों का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच शुरूआत करने का आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से 'इंडियन पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन' ("आईपीएमए") द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विस्तृत जानकारी प्रदान की है:

1. आदित्य बिड़ला रीयल एस्टेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड)
2. इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड
3. जेके पेपर लिमिटेड
4. आईटीसी लिमिटेड
5. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड (टीएनपीएल)

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु का केवल एक ही अन्य घरेलू उत्पादक है, जिसका नाम वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ने वर्तमान जांच का समर्थन करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है।

26. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस बात का खंडन नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की जांच की है और घरेलू उद्योग के अनुरोध को आयात आंकड़ों में उपलब्ध जानकारी के अनुरूप पाया है।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक घरेलू उत्पादकों की हिस्सेदारी 97% है और समर्थक उत्पादक के साथ मिलकर वे भारत में कुल घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादक भारत में घरेलू खपत के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं और इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत 'घरेलू उद्योग' का गठन करते हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और परिकलित सामान्य मूल्य की गणना के संबंध में आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं। जांच की शुरुआत में पर्याप्त औचित्य की कमी है क्योंकि प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में प्रदान किए गए साक्ष्यों की पर्याप्तता और सटीकता की जांच नहीं की है।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

29. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- आयातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि वे प्रमुख शेयरधारकों के साथ-साथ संबंधित संस्थाओं का प्रकटन करने में विफल रहे हैं।
 - निष्पक्ष तुलना के लिए समायोजन के रूप में किए गए और दावा किए गए व्ययों का प्रकटन किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यय प्राधिकारी के जाँच परिणाम में दर्ज किए जाते हैं।
 - अन्य हितबद्ध पक्षकार भारतीय बाजार में उनके द्वारा दिए गए बीजक-पश्चात छूट के प्रकार के विवरण का प्रकटन करने में विफल रहे हैं।
 - उपभोग की गई प्रमुख कच्ची सामग्री के नामों के भी गोपनीय होने का दावा किया गया है।
 - अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है, जिसमें व्यावसायिक स्वामित्व की जानकारी शामिल है और इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है। व्यापार सूचना संख्या 10/2018 की अपेक्षाओं के अनुसार सामान्य मूल्य को एक रेंज में प्रदान किया गया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. गोपनीय आधार पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहाँ भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को प्रस्तुत की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। गोपनीयता के संबंध में पक्षकारों के तर्कों की भी नीचे जांच की गई है।
31. इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य हितबद्ध पक्षकार अपनी प्रतिक्रियाओं में कुछ जानकारी का प्रकटन करने में विफल रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने द्वारा दावा की गई गोपनीयता को उचित ठहराया है। इसके अलावा, ऐसी जानकारी का प्रकटन न होने के कारण घरेलू उद्योग के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

32. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने निर्धारित सामान्य मूल्य के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जो कि व्यावसायिक स्वामित्व संबंधी जानकारी है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ऐसी जानकारी के प्रकटन से घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सामान्य मूल्य एक रेंज में प्रकट किया गया है। तथापि, इसके निर्धारण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने किसी भी मामले में विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

इ. विविध अनुरोध

इ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
- i. उत्पाद के आयात पर लगाई गई न्यूनतम आयात कीमत इंडोनेशिया से आयात कीमत की तुलना में काफी अधिक है और यह प्रभावी रूप से किसी भी कीमत कटौती या कीमत हास को निष्प्रभावी करता है। लागू किया गया एमआईपी पाटनरोधी शुल्क के उद्देश्य अर्थात् पाटन के हानिकारक प्रभाव की भरपाई करना, को पूरा करता है। प्राधिकारी ने पहले इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर से 'अनकोटेड कॉपियर पेपर' के मामले में संदर्भ कीमत के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी।
 - ii. एमआईपी के अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को दोहरा संरक्षण मिलेगा और इससे निर्यातक दंडित हो जाएंगे तथा यह डाउनस्ट्रीम उद्योगों और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल होगा।
 - iii. घरेलू उद्योग को एमआईपी के विस्तार पर अपनी स्थिति से संबंधित सभी तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए और रिकॉर्ड पर लाना चाहिए तथा वर्तमान जांच में प्राधिकारी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को डीजीएफटी के साथ हुए सभी पत्राचारों की एक प्रति प्रदान करनी चाहिए।
 - iv. एमआईपी को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है जो दर्शाता है कि एमआईपी कोई अल्पकालिक उपाय नहीं है। एमआईपी का विस्तार यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी पाटनरोधी शुल्क एमआईपी के साथ अतिव्याप्त होगा और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अत्यधिक संरक्षण मिलेगा।

इ.2. घरेलू उद्योग के विचार

34. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, एमआईपी घरेलू उद्योग की पूरी क्षति को समाप्त नहीं करता है क्योंकि यह केवल एक अस्थायी उपाय है। एमआईपी पाटन को निष्प्रभावी नहीं करता है और केवल एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है।
 - ii. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि एमआईपी कीमत कटौती को निष्प्रभावी करता है, यह केवल इस तथ्य के कारण है कि पहुंच-मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है और घरेलू उद्योग ने स्वयं अपनी लागत से कम पर बिक्री की है।

- iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, संदर्भ कीमत शुल्क उपयुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि संबद्ध वस्तु की कीमत लुगदी की कीमत पर निर्भर करती है। लुगदी की कीमतें उतार-चढ़ाव वाली प्रकृति की होती हैं।
- iv. आवेदकों ने प्रशासनिक मंत्रालय से केवल पाटनरोधी शुल्क लगाने तक ही एमआईपी के रूप में उपाय बनाए रखने का अनुरोध किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का कोई दोहरा संरक्षण नहीं होगा।
- v. डीजीटीआर और अन्य पक्षकार लागू होने से पहले एमआईपी से अच्छी तरह जानकार होते हैं क्योंकि डीजीएफटी सभी हितधारकों के साथ एक हितधारक बैठक आयोजित करता है।

इ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. इस अनुरोध के संबंध में कि चूंकि एमआईपी लागू है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का उद्देश्य यह जांच करना है कि क्या संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है, क्या ऐसा पाटन घरेलू उद्योग को भारी क्षति पहुँचा रहा है और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि कितनी होगी जो पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। जहाँ पाटनरोधी शुल्क उत्पादकों और देशों पर लगाया जाता है और इसकी मात्रा उत्पादक एवं देशों के अनुसार भिन्न होती है, वहीं सभी आयातों पर एक समान एमआईपी लगाया जाता है। एमआईपी भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लगाया जाता है जिसके अंतर्गत भारत सरकार भारत में कुछ उत्पादों के आयात को विनियमित, प्रतिबंधित या अवरुद्ध कर सकती है। इसकी तुलना में, पाटनरोधी शुल्क एक व्यापार उपचारात्मक उपाय है जिसका उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथा के कारण उद्योग को हुई क्षति का उपचार करना है और इसे पाटनरोधी नियमावली के अनुसार एक अवधि के लिए लगाया जाता है।
36. इस अनुरोध के संबंध में कि एमआईपी कीमत कटौती को निष्प्रभावी करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू एमआईपी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। कीमत कटौती के निष्प्रभावी होने का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय बाजार में पाटन बंद हो गया है, और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है। यह देखा गया है कि क्षति मार्जिन काफी अधिक है, भले ही एमआईपी को आयात कीमत माना जाए, जिससे यह सिद्ध होता है कि एमआईपी पर आयात से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। किसी भी मामले में, एमआईपी प्रकृति में अस्थायी है और इसका उद्देश्य भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण आवेदकों को हुई क्षति को दूर करना नहीं है।
37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क की राशि और रूप का निर्णय प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लेने के बाद, और मामले के संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखने के बाद किया जाएगा।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

38. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पाटनरोधी करार के विपरीत हैं। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन पीसीएन पद्धति के आधार पर और भाग लेने वाले उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार किया जाना चाहिए।
 - चूंकि पीटी रियाउ अंदाजन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल और एशिया पैसिफिक पेपरबोर्ड ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड ने एक पूर्ण और सटीक उत्तर प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर उक्त उत्पादकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है।
 - एपीपी समूह भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन में शामिल नहीं है।
 - घरेलू उद्योग के यह दावे कि इंडोनेशियाई उत्पादक चीन के उत्पादकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं तथा प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी प्राप्त करते हैं, निराधार और बिना किसी साक्ष्य के हैं।
 - घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, एपीपी समूह चीन के उत्पादकों के स्वामित्व में नहीं है और यह जकार्ता में मुख्यालय वाला एक सुप्रतिष्ठित इंडोनेशियाई व्यावसायिक समूह है।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

39. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:
- आवेदक के पास इंडोनेशिया में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। संबद्ध देश में उत्पादन लागत के संबंध में जानकारी घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर किया गया है।
 - अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में निराधार दावे किए हैं। घरेलू उद्योग ने जाँच शुरुआत के चरण में अपने पास यथोचित रूप से उपलब्ध सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में जानकारी प्रदान की है।
 - प्राधिकारी उत्तरों की पूर्णता, सटीकता और विश्वसनीयता का सत्यापन करने के बाद प्रस्तुत किए गए उत्तरों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित कर सकते हैं।
 - पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

40. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से अभिप्राय निम्नलिखित से है:

"i) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाने पर, निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए समान वस्तु का व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय मूल्य, या

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब विशेष बाजार स्थिति या निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना संभव नहीं होती है, तो सामान्य मूल्य या तो:

(क) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाने पर, निर्यातक देश या क्षेत्र या किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य होगा; या

मूलता के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए उचित योग शामिल होगा, जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो;

(ख) बशर्ते कि मूलता के देश के अलावा किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहाँ वस्तु को केवल निर्यात देश के माध्यम से ट्रांसशिप किया गया है या ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं किया जाता है या निर्यातक देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उसके मूलता के देश में कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।"

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

1. पीटी रियाउ अंदासन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल, इंडोनेशिया

i. एशिया पैसिफिक पेपरबोर्ड ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

2. पीटी इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके, इंडोनेशिया

3. पीटी. पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स, इंडोनेशिया

i. गिलस्टेड पैसिफिक (एचके) लिमिटेड, हांगकांग

ii. गोल्डन प्रॉफिट ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

42. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पाटनरोधी करार के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त और सटीक माना गया था। इसके अलावा, चूंकि उत्पादकों ने अब वर्तमान जांच में भाग लिया है, प्राधिकारी ने ऐसे उत्पादकों द्वारा किए गए दावों का सत्यापन किया है और सटीक एवं पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करने वाले उत्पादकों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है।

43. इन अनुरोधों के संबंध में कि इंडोनेशियाई उत्पादक चीन के उत्पादकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं तथा इंडोनेशिया और चीन की सरकारों से सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं, घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि यह वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए किस प्रकार संगत है।

च.3.1. सामान्य मूल्य का निर्धारण

पीटी पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स (पिंडो डेली) और पीटी इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके (इंदाह कियात) के लिए सामान्य मूल्य:

44. पिंडो डेली और इंदाह कियात इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तु के दो उत्पादक हैं। दोनों संस्थाओं में अधिकांश स्वामित्व पीटी एपीपी पुरीनुसा एकापरसाडा के पास है। पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए, दोनों संस्थाओं के उत्तरों की सामूहिक रूप से जांच की गई है।
45. जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान, पिंडो डेली ने केवल इंडोनेशियाई बाजार में एटीबी बेचा और भारत को निर्यात किया। घरेलू बाजार में, एटीबी को एक संबंधित व्यापारी, पीटी चक्रवाला मेगा इंदाह (सीएमआई) के माध्यम से बीजक-वार आधार पर बेचा गया था। तथापि, चूंकि प्राधिकारी ने मुद्रण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले एटीबी को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर कर दिया है, इसलिए पिंडो डेली की एटीबी की घरेलू और निर्यात बिक्री को पाटन मार्जिन की गणना में शामिल नहीं किया गया है।
46. पीओआई के दौरान, इंदाह कियात ने उसी संबंधित व्यापारी, पीटी चक्रवाला मेगा इंदाह (सीएमआई) के माध्यम से बीजक-वार आधार पर इंडोनेशियाई बाजार में *** मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद बेचा। घरेलू स्तर पर बेचे गए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) में एफबीबी, सीयूएस और अन्य (ओटीएच) शामिल थे। ये घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में थी और पर्याप्तता परीक्षण को पूरा करती थी।
47. सामान्य मूल्य की गणना के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन के आधार पर इंदाह कियात की लाभप्रदता का मूल्यांकन किया। जिन पीसीएन के लिए घरेलू बिक्री का 80% से अधिक हिस्सा लाभप्रद था, उनके लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कुल घरेलू बिक्री के आधार पर किया गया था। जिन पीसीएन के लिए 20% से अधिक बिक्री घाटे में थी, उनके लिए सामान्य मूल्य की गणना केवल लाभप्रद बिक्री का उपयोग करके की गई थी। यदि लाभप्रद घरेलू बिक्री पर्याप्त नहीं थी, तो सामान्य मूल्य की गणना डेस्क सत्यापन के दौरान सत्यापित उत्पादन लागत, एसजीएंडए और उचित लाभ के आधार पर की गई है। भारत औसत के आधार पर इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है:

पीटी रियाउ अंदाहन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल (आरएपीआई) और एशिया पैसिफिक पेपरबोर्ड ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड (एपीबीटी) के लिए सामान्य मूल्य:

48. आरएपीआई इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। पीओआई के दौरान, आरएपीआई ने अपने संबंधित व्यापारी एपीबीटी के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। पीओआई के दौरान, आरएपीआई ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तु बेची है।
49. आरएपीआई और एपीबीटी ने निर्धारित प्रश्नावली प्रारूपों में पीसीएन-वार संगत जानकारी प्रदान की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान, आरएपीआई ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु बेची है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।
50. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया का परीक्षण किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान, घरेलू बाजार में बेची गई संबद्ध वस्तु

की प्रति मीट्रिक टन औसत बिक्री कीमत, प्रति इकाई उत्पादन लागत और प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागतों से कम है। इसके अलावा, पीओआई के दौरान घरेलू बिक्री का कोई भी सौदा लाभप्रद नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं है और इंडोनेशिया में घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

51. उपरोक्त के आलोक में, अधिनियम की धारा 9क(1)(ग)(ii)(ख) के अंतर्गत उत्पादन लागत और प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागतों तथा उचित लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।
52. उपरोक्त के अतिरिक्त, आरएपीआई ने स्टार्ट-अप लागत के कारण समायोजन का भी दावा किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 3 में प्रावधान है:

"(ii) जब तक कि उपर्युक्त खंड (1) और उप-खंड (i) में संदर्भित लागतों के आवंटन में पहले से ही परिलक्षित न हो, निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत की उन गैर-पुनरावर्ती मदों के लिए भी उचित समायोजन करेंगे जो आगे के और/या वर्तमान उत्पादन को लाभ पहुंचाती हैं, या उन परिस्थितियों के लिए जिनमें जांच की अवधि के दौरान लागत स्टार्ट-अप संचालन से प्रभावित होती है।"

53. यह नोट किया जाता है कि पूर्वोक्त में न तो "स्टार्ट-अप लागत" का उल्लेख है और न ही यह उन परिस्थितियों पर कोई मार्गदर्शन प्रदान करता है जिनके अंतर्गत ऐसे समायोजन की अनुमति दी जानी है। ऐसे समायोजन करने के लिए कोई पद्धति भी निर्धारित नहीं की गई है।
54. अमेरिकी कानून के अंतर्गत स्टार्ट-अप लागत संबंधी व्यवहार से मार्गदर्शन लेते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टार्ट-अप लागत की अवधारणा आम तौर पर व्यावसायिक उत्पादन के शुरुआती चरण के दौरान उत्पन्न होने वाली तकनीकी और प्रचालन संबंधी अक्षमताओं से जुड़ी होती है और इसलिए, इसके लिए स्टार्ट-अप अवधि की शुरुआत और समाप्ति दोनों की स्पष्ट पहचान के साथ-साथ दावा की गई लागतों और ऐसी तकनीकी कठिनाइयों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध करने की आवश्यकता होती है।
55. वर्तमान मामले में, आरएपीआई ने पीओआई की शुरुआत से ठीक पहले, *** में संबद्ध वस्तु का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया था। तथापि, आरएपीआई ने न तो कथित स्टार्ट-अप अवधि की विशिष्ट अवधि की पहचान की है और न ही इस चरण के दौरान स्टार्ट-अप पर आई वास्तविक लागतों का सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसके बजाय, दावा किया गया समायोजन कल्पित उच्च क्षमता उपयोग और स्थिर लागतों के आवंटन में परिणामी कमी के आधार पर निकाला गया है।
56. प्राधिकारी का यह विचार है कि वास्तविक उत्पादन लागत में किसी भी समायोजन को अनिवार्य रूप से सत्यापन योग्य वास्तविक आंकड़ों और सहायक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि आरएपीआई द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी के आधार पर, यह दावा ऐसे खर्चों को "स्टार्ट-अप" लागत मानने के लिए आवश्यक मानदंडों और परीक्षणों को पूरा नहीं करता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने कथित स्टार्ट-अप लागत के कारण किसी भी समायोजन की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है।


इंडोनेशिया में अन्य सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य:

57. इंडोनेशिया के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।


च.3.2. निर्यात कीमत का निर्धारण

पीटी पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स (पिंडो डेली) और पीटी इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके (इंदाह कियात) के लिए निर्यात कीमत:

58. पिंडो डेली ने भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। भारत को वस्तुओं के बीजक में शामिल व्यापारिक संस्थाओं, अर्थात् गिलस्टेड पैसिफिक (एचके) लिमिटेड (गिलस्टेड) और गोल्डन प्रॉफिट ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड (गोल्डन प्रॉफिट) ने भी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। तथापि, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, पिंडो डेली ने भारत को केवल एटीबी का निर्यात किया है जिसे वर्तमान जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया है। निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एटीबी के निर्यात आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है।




59. इंदाह कियात ने संबद्ध वस्तु का सीधे भी निर्यात किया है, जिसके अंतर्गत *** मीट्रिक टन पीसीएन सीयूएस और *** मीट्रिक टन एफबीबी शामिल है। यह नोट किया जाता है कि उन्होंने एक असंबद्ध व्यापारी, अर्थात् 'लाइफ़ इन ग्रीन प्रोडक्ट्स इंक' के माध्यम से भी (*** मीट्रिक टन पीसीएन सीयूएस) निर्यात किया है, जिसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। भारत को निर्यात की गई समस्त वस्तु का आयात असंबद्ध आयातक द्वारा किया गया था और भारत में संबद्ध वस्तु की पुनर्विक्री में कोई भी संबंधित भारतीय आयातक शामिल नहीं है।



60. पाटन मार्जिन की गणना के लिए, प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत और सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पीसीएन स्तर पर कारखाना-द्वार निर्यात कीमत की गणना की है। भारत औसत निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी ने उस श्रृंखला की वास्तविक निर्यात कीमत पर विचार किया है जिसमें सहयोगी उत्पादक और निर्यातक द्वारा भारत को किए गए प्रत्यक्ष निर्यात शामिल हैं, जिन्होंने जांच में विधिवत रूप से भाग लिया है और निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से अपना उत्तर प्रस्तुत किया है; तथा इंदाह कियात के उक्त संबद्ध व्यापारी, जिसने निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी, के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है। जहाँ लागू हो, वहाँ समायोजन जैसे कि समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, कमीशन और बैंक प्रभारों की अनुमति दी गई है। इस प्रकार प्राप्त निवल निर्यात कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पीटी रियाउ अंदाजन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल (आरएपीआई) के लिए निर्यात कीमत:

61. उत्तर से यह नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान, आरएपीआई ने अपने संबंधित व्यापारी एपीबीटी के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।



62. उत्पादक/निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, छूट एवं बढ़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पल्लन व्यय, बीमा, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उचित सत्यापन के बाद इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एपीबीटी को पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात में नुकसान हुआ है। इसलिए, प्राधिकारी ने निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए एपीबीटी द्वारा उठाए गए नुकसान के लिए संगत समायोजन किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत औसत पीसीएन-वार कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

इंडोनेशिया के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत:

63. इंडोनेशिया के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.4. पाटन मार्जिन

64. ऊपर दिए गए अनुसार परिकलित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन इस प्रकार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	
		(अम.डा./एमटी)	(अम.डा./एमटी)	(अम.डा./एमटी)	%	रेंज (%)
1	पीटी. इंदा क्विआट पल्प एंड पेपर टीबीके	***	***	***	***	नकारात्मक
2	पीटी रियाउ अंडालन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल	***	***	***	***	65-75
3	अन्य निर्माता	***	***	***	***	105-115

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

65. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- इंडोनेशिया से आयातों में वृद्धि सांख्यिकीय रूप से भ्रामक है क्योंकि पिछले वर्षों में इंडोनेशिया से व्यावहारिक रूप से कोई आयात नहीं हुआ था। जांच की अवधि के दौरान केवल 4.24% की बाजार हिस्सेदारी नगण्य है और इसे घरेलू उद्योग को हुई भारी क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है। बाजार हिस्सेदारी और बाजार में कीमतों पर मुख्य रूप से घरेलू उद्योग और अन्य देशों से होने वाले आयातों का नियंत्रण है।
 - आयातों में वृद्धि भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि की प्रतिक्रिया में हुई है।
 - भारत में कुल मांग और उत्पादन के संबंध में इंडोनेशिया से होने वाला आयात नगण्य रहा है।
 - घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता का इष्टतम स्तर तक उपयोग किया गया है, जो इसके उत्पादन और बिक्री के अनुरूप है। अतः, मात्रात्मक रूप से कोई क्षति नहीं हुई है।

- v. घरेलू बिक्री में वृद्धि में सुधार हुआ है जबकि निर्यात बिक्री में गिरावट आई है, इसलिए भारतीय उद्योग पर संबद्ध आयातों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। निर्यात में गिरावट आंतरिक कारकों के कारण हुई है और इसका कारण संबद्ध आयातों को नहीं बताया जा सकता है।
- vi. कर्मचारियों की संख्या की तुलना में वेतन और मजदूरी में असामान्य वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।
- vii. माल-सूची का स्तर 10 दिनों से मामूली रूप से बढ़कर 15 दिन हो गया है। यह निर्यात बिक्री में गिरावट और वर्ष 2022-23 की उच्च अंतिम मालसूची के कारण हुआ है।
- viii. जहाँ घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में मामूली वृद्धि हुई है, वहीं मूल्यहास और ब्याज लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ix. लाभप्रदता में गिरावट क्षमता और नियोजित पूंजी में वृद्धि का सीधा परिणाम है, जिससे ब्याज और मूल्यहास के रूप में उच्च स्थिर लागत हुई है।
- x. घरेलू उद्योग को क्षति का प्राथमिक कारण चीन और चिली से होने वाले पाटित आयात हैं, जैसा कि प्राधिकारी ने अपने अंतिम जाँच परिणाम में निर्धारित किया है। इंडोनेशिया से आयातों की मात्रा काफी कम है। चीन और चिली से आयातों पर शुल्क न लगाए जाने की स्थिति में, कारणात्मक संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- xi. चीन से होने वाला आयात इंडोनेशिया से होने वाले आयात से दोगुने से भी अधिक है और इसकी सीआईएफ कीमत इंडोनेशिया से होने वाले आयातों से कम है।
- xii. इंडोनेशिया पर शुल्क लगाना घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने में अप्रभावी होगा क्योंकि इससे आपूर्ति में बदलाव आएगा, क्योंकि आयातक चीन और चिली से संबद्ध वस्तु प्राप्त करेंगे, जिससे इंडोनेशिया से होने वाला आयात समाप्त हो जाएगा। यह गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के सिद्धांतों के विपरीत होगा।
- xiii. प्राधिकारी के लिए आवश्यक है कि वे अन्य देशों से होने वाले आयातों के कारण हुई क्षति को अलग करें और गैर-आरोपण विश्लेषण करें। पाटनरोधी करार में यह भी कहा गया है कि प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और विदेशी एवं घरेलू उत्पादक के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाली क्षति भी क्षति के लिए एक ज्ञात कारक है और इसके लिए एक गैर-आरोपण विश्लेषण आवश्यक है। चीन और चिली से होने वाले आयातों के कारण हुई क्षति का जिम्मेदार इंडोनेशिया से होने वाले आयातों को नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- xiv. इंडोनेशिया से होने वाले आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई संबंध नहीं है। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में आयातों की मात्रा में गिरावट आई, तथापि, उक्त अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई। इसी तरह, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में आयात कीमत में वृद्धि हुई, तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई।
- xv. आईपीएमए द्वारा दावा की गई निवल स्थिर परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी स्थापित क्षमता के अनुपात में नहीं हैं, जिसके कारण क्षति-रहित कीमत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई है। प्राधिकारी को अनुबंध-III के संदर्भ में क्षति-रहित कीमत की गहनता से जांच करनी चाहिए।

छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

66. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. यद्यपि इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु का व्यावहारिक रूप से कोई आयात नहीं हुआ था, तथापि जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है।
 - ii. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।
 - iii. संबद्ध आयातों में भारत में मांग में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक दर से वृद्धि हुई है।
 - iv. इंडोनेशियाई निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित की जा रही कम कीमतों के कारण संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।
 - v. भारत में संबद्ध आयातों के पहुंच-मूल्य में काफी गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।
 - vi. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती की है, जिसके कारण इंडोनेशियाई निर्यातक भारतीय बाजार पर कब्जा करने में सक्षम हुए हैं।
 - vii. यद्यपि घरेलू उद्योग को वर्ष 2023-24 तक चीन और चिली से होने वाले आयातों से कीमत दबाव का सामना करना पड़ा, तथापि इंडोनेशिया से होने वाले आयातों ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव डाला है।
 - viii. यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत स्थिर रही, तथापि संबद्ध देश से पहुंच-मूल्य में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत घटकर बिक्री लागत से कम हो गई है।
 - ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, पिछले वर्षों में संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है क्योंकि संबद्ध देश से वर्ष 2022-23 तक व्यावहारिक रूप से कोई आयात नहीं हुआ था।
 - x. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की परिवर्तनशील लागत से भी कम पर हुए हैं।
 - xi. संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य चीन से होने वाले आयातों के पहुंच-मूल्य से भी कम है।
 - xii. भारत में मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
 - xiii. घरेलू उद्योग केवल लाभप्रदता से समझौता करके ही अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है।
 - xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग मुख्य रूप से घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग निर्यात बाजार में बेहतर कीमतें और अपनी बिक्री लागत से अधिक कीमतें प्राप्त कर रहा है।
 - xv. घरेलू उद्योग की माल-सूची में वृद्धि हुई है, यद्यपि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु को घाटे में बेचा है।

- xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, संविदात्मक श्रमिकों के वेतन की रिपोर्टिंग के कारण वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई है, जिनकी रिपोर्टिंग कर्मचारियों की संख्या के हिस्से के रूप में नहीं की गई है। घरेलू उद्योग ने उक्त मापदंड पर किसी क्षति का दावा नहीं किया है।
- xvii. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में बहुत तीव्र गिरावट आई है।
- xviii. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय घाटा हुआ है। जहाँ पिछले वर्ष में चीन और चिली से होने वाले पाटन के कारण घरेलू उद्योग को घाटे का सामना करना पड़ा था, वहीं इंडोनेशिया से होने वाले पाटन के कारण जांच की अवधि में घाटा बढ़ गया है।
- xix. घरेलू उद्योग को ब्याज और मूल्यहास को शामिल करने से पहले ही घाटा हुआ है।
- xx. घरेलू उद्योग को नकद घाटा हुआ है और जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है।
- xxi. आबद्ध इनपुट के लिए किए गए परिवर्धनों के कारण घरेलू उद्योग के मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रति इकाई मूल्यहास और ब्याज लागत में गिरावट आई है।
- xxii. यदि मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि को समायोजित किया जाता है, तो भी घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में घाटा हुआ है।
- xxiii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देश से आयातों के पाटन के कारण है और किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को भारी क्षति नहीं पहुँचाई है।
- xxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग को क्षति केवल चीन से विचाराधीन उत्पाद के पाटन से नहीं हो रही है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि संबद्ध आयातों का पहुंच-मूल्य चीन से होने वाले आयातों के पहुंच-मूल्य से कम है। इस प्रकार, इंडोनेशिया से होने वाले आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत दबाव डाल रहे हैं।
- xxv. घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में प्रस्तुत की जा रही सबसे कम कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य है क्योंकि उपभोक्ता का निर्णय उपलब्ध सबसे सस्ते स्रोत पर आधारित होता है।
- xxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जांच की अवधि में चिली से होने वाले आयात निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम पर हुए थे और इस प्रकार, वे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा सकते हैं।
- xxvii. यद्यपि चीन से पाटन जारी रहा, तथापि इंडोनेशिया के उत्पादकों ने भी बड़े पैमाने पर पाटन किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति इंडोनेशिया से होने वाले आयातों के कारण भी हुई है। कानून के अंतर्गत संबद्ध देश से आयातों के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच "एक कारणात्मक संबंध" की आवश्यकता होती है।
- xxviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, जहाँ इंडोनेशिया से होने वाले आयात मात्रा में कम हैं, वहीं ऐसे आयातों की कीमत चीन से होने वाले आयातों की कीमत से भी कम है और यह घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी क्षति पहुँचा रही है।

- xxix. इंडोनेशियाई उत्पादक वास्तव में चीन के संस्थाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। यह अनुरोध कि केवल इंडोनेशिया से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की स्थिति में आयात इंडोनेशिया से चीन में स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसी संस्थाओं द्वारा अनुचित व्यापार प्रथा में शामिल होने के उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है।
- xxx. किसी एक देश पर पाटनरोधी शुल्क न लगाने से संबद्ध देश से होने वाला पाटन और क्षति स्वतः समाप्त नहीं हो जाती है।
- xxxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, भारत सरकार के लिए केवल उन सभी स्रोतों से गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर शुल्क एकत्र करना आवश्यक है जो शुल्क लगाने के अधीन हैं। इसके अलावा, गैर-भेदभाव से संबंधित प्रावधान देशों से नहीं, बल्कि शुल्क के अधीन व्यक्तिगत निर्यातकों से संबंधित हैं।
- xxxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, उद्योग कई कारकों के कारण क्षति से ग्रस्त हो सकता है। प्राधिकारी के लिए केवल एक गैर-आरोपण विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य कारकों से हुई क्षति का जिम्मेदार पाटन को नहीं ठहराया जाए।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

67. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।

छ.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

68. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से होने वाले आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित की गई मांग नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	एमटी	9,01,500	10,38,690	11,66,108	11,68,670
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	129	130
अन्य उत्पादकों की बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	68	70
संबद्ध आयात	एमटी	108	1,737	463	61,567
अन्य आयात	एमटी	57,070	1,32,916	1,54,718	***

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
अपाटित आयात	एमटी	-	-	-	***
कुल आयात	एमटी	57,178	1,34,652	1,55,181	2,93,632
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
कुल मांग	सूचीबद्ध	100	121	134	148

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देश से आयातों की मात्रा

70. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या आयातों में, समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या उपभोग के संबंध में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निम्नानुसार थी:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	108	1,737	463	61,567
अन्य आयात	एमटी	57,070	1,32,916	1,54,718	***
अपाटित आयात	एमटी	-	-	-	***
कुल आयात	एमटी	57,178	1,34,652	1,55,181	2,93,632
घरेलू उद्योग का उत्पादन	एमटी	10,98,950	12,32,827	12,82,695	13,03,686
अन्य उत्पादकों का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	85	69	70
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	111	115	117
निम्न के संबंध में आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	1400	400	46000
खपत	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	1400	300	41100
कुल आयात	%	0.19%	1.29%	0.30%	20.97%

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. आयातों की मात्रा वर्ष 2021-22 में केवल 108 मीट्रिक टन के स्तर से बढ़कर जांच की अवधि (पीओआई) में 61,567 मीट्रिक टन हो गई है।
 - ii. वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि (पीओआई) में उत्पादन और खपत के संबंध में भी आयातों में वृद्धि हुई है।
 - iii. यद्यपि वर्ष 2023-24 तक संबद्ध देश से नगण्य आयात हो रहा था, तथापि जांच की अवधि में आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कुल आयातों में संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है।
72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में लगभग 48% की वृद्धि हुई है, तथापि संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों में क्षति की अवधि के दौरान लगभग 570 गुना की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों में भारत में मांग में वृद्धि की दर की तुलना में काफी अधिक दर से वृद्धि हुई है।

छ.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

73. संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कथित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना था या कीमतों में होने वाली ऐसी वृद्धि को रोकना है जो सामान्य प्रक्रिया में अन्यथा बढ़ गई होती। संबद्ध देश से होने वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़े प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत हास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

क) कीमत कटौती

74. कीमत कटौती के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से होने वाले आयातों के पहुंच-मूल्य से की गई है। इस संबंध में, व्यापार के समान स्तर पर और समान पीसीएन के लिए, सभी प्रकार की छूटों और करों को घटाकर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पाद के पहुंच-मूल्य के बीच एक तुलना की गई है। भारत औसत कीमत कटौती निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	संबद्ध देश
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	67,244
पहुंच कीमत	₹/एमटी	54,675
कीमत कटौती	₹/एमटी	12,569
कीमत कटौती	%	23%

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। यह कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।
76. इन अनुरोधों के संबंध में कि अधिकांश आयात अन्य देशों से हो रहे हैं जिनका बाजार में कीमतों पर नियंत्रण है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसे भारत में सबसे कम कीमत वाले आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। उपभोक्ताओं द्वारा विचाराधीन उत्पाद खरीदने का निर्णय भारतीय बाजार में विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली सबसे कम कीमतों पर आधारित होता

है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया का पहुंच-मूल्य अन्य प्रमुख देशों से आने वाली संबद्ध वस्तु के पहुंच-मूल्य की तुलना में व्यापक रूप से कम है। तदनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में प्रचलित कीमतें अन्य देशों द्वारा नियंत्रित हैं।

ख) कीमत हास / कीमत न्यूनीकरण

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में महत्वपूर्ण सीमा तक गिरावट ला रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक कमी करना है अथवा कीमतों में होने वाली उस वृद्धि को रोकने का है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	121	121
बिक्री कीमत	₹/एमटी	68,473	81,664	68,748	67,244
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	100	98
पहुंच कीमत	₹/एमटी	87,961	87,048	63,311	54,675
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	72	62

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहाँ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 21% की वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2% की गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान पहुंच-मूल्य में 38% की गिरावट आई है। इस प्रकार, भारत में होने वाले पाटित आयातों द्वारा घरेलू कीमतों में हास और न्यूनीकरण किया गया है।
79. इन अनुरोधों के संबंध में कि अतीत में घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध आयातों के पहुंच-मूल्य के अनुरूप नहीं बढ़ीं या घटी हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा के आलोक में आयातों की कीमत की जांच करना महत्वपूर्ण है। अतीत में संबद्ध देश से होने वाला आयात काफी कम था।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

80. पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-II में यह अपेक्षा है कि क्षति के निर्धारण में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता,

निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; नकद प्रवाह, माल-सूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

81. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार रहा था:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता (पीयूसी+एनपीयूसी)	एमटी	15,15,863	16,90,000	16,90,000	16,90,000
उत्पादन (पीयूसी+एनपीयूसी)	एमटी	15,22,944	15,91,201	16,68,701	16,94,620
पीयूसी का उत्पादन	एमटी	10,98,950	12,32,827	12,82,695	13,03,686
क्षमता उपयोग	%	100%	94%	99%	100%
घरेलू बिक्रियाँ	एमटी	9,01,500	10,38,690	11,66,108	11,68,670
निर्यात बिक्रियाँ	एमटी	1,48,697	1,13,035	77,894	94,701
पीयूसी की आबद्ध खपत	एमटी	47,523	55,462	45,291	43,716

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. आधार वर्ष को छोड़कर घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता समान रही है।

ख. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन के साथ-साथ उसकी घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है।

ग. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग इष्टतम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है।

83. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि के कारण, घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन और बिक्री को बनाए रखने के लिए लाभप्रदता से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

84. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण निर्यात बिक्री में गिरावट है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री कुल उत्पादन का केवल 5.6% है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का मुख्य ध्यान घरेलू बाजार पर है और निर्यात बिक्री में किसी भी प्रकार की गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

ख) बाजार हिस्सेदारी

85. आयातों और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	89.45%	85.51%	86.08%	78.10%

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
अन्य उत्पादकों की बिक्रियाँ	%	4.88%	3.40%	2.47%	2.29%
संबद्ध आयात	%	0.01%	0.14%	0.03%	4.11%
अन्य आयात	%	5.66%	10.94%	11.42%	***
अपाटित आयात	%	-	-	-	***

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। जांच अवधि में संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

ग) मालसूची

87. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल-सूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	104	188	167
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	181	160	149
औसत मालसूची	एमटी	31,007	44,438	53,959	48,960

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची में वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया और संबद्ध वस्तु को घाटे में बेचा, फिर भी घरेलू उद्योग को माल-सूची के संचय के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, घरेलू उद्योग की माल-सूची में गिरावट देखी गई है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

89. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	121	121
बिक्री कीमत	₹/एमटी	68,473	81,664	68,748	67,244
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	100	98
लाभ / (हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	-2	-18
लाभ / (हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	-3	-24
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	23	6
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	12	-2

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। यद्यपि घरेलू उद्योग वर्ष 2022-23 तक लाभ कमा रहा था, तथापि वर्ष 2023-24 से उसे वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यद्यपि चीन और चिली से होने वाले पाटन के कारण उसे वर्ष 2023-24 में वित्तीय घाटा हुआ था, तथापि इंडोनेशिया से बड़े पैमाने पर होने वाले पाटन के कारण जांच की अवधि में यह घाटा बढ़ गया है।
- ii. नकद लाभ ने भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है और वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में इसमें भारी गिरावट आई है।
- iii. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर आय में भी काफी गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

91. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण उसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समेकित आधार पर घरेलू उद्योग की प्रति इकाई ब्याज और मूल्यहास लागत में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
ब्याज	₹/एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	212	203	181
मूल्यहास	₹/एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	145	128	130
ब्याज और मूल्यहास लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	167	152	147

92. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग की ब्याज लागत और मूल्यहास में क्षमता में हुई वृद्धि की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्याज लागत और मूल्यहास में यह वृद्धि आबद्ध इनपुट के संयंत्रों में किए गए निवेश के कारण है। यदि ब्याज लागत और मूल्यहास को शामिल न भी किया जाए, तो भी मूल्यहास और ब्याज लागत से पहले घरेलू उद्योग के लाभ में काफी अधिक गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
ब्याज लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
ब्याज लागत	सूचीबद्ध	100	212	203	181
मूल्यहास	₹/एमटी	***	***	***	***
मूल्यहास	सूचीबद्ध	100	146	128	130
कुल	₹/एमटी	***	***	***	***
कुल	सूचीबद्ध	100	167	152	147
पीबीटी	₹/एमटी	***	***	***	***
पीबीटी	सूचीबद्ध	100	93	-2	-18
पीबीडीआईटी	₹/एमटी	***	***	***	***
पीबीडीआईटी	सूचीबद्ध	100	108	30	16

इ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

93. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	3,970	4,147	4,160	4,277
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	3,011	3,378	3,514	3,572
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	277	297	308	305
मजदूरी	लाख ₹.	20,986	33,317	36,767	39,453

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता के साथ-साथ वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है।

च) संवृद्धि

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता	%	-	11%	0%	0%
उत्पादन	%	-	12%	4%	2%
घरेलू बिक्रियाँ	%	-	15%	12%	0.2%
लाभ / (घाटा) ₹/एमटी	%	-	-7%	-102%	-713%

नकद लाभ	%	-	16%	-80%	-76%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-17%	-85%	-120%

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही। घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों ने क्षति की अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष सकारात्मक संवृद्धि दर्शाई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मात्रात्मक मापदंडों में सुधार इसलिए हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता को कम किया है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों ने पूरी क्षति की अवधि के दौरान नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में, इस उत्पाद के लिए आगे और पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

97. चूंकि संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ-साथ उसकी बिक्री लागत से भी कम रहा है, इसलिए इसने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल दिया है। इसके कारण, घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की कीमत अपनी बिक्री लागत में हुए परिवर्तन के अनुरूप निर्धारित करने में सक्षम नहीं रहा है। इसके विपरीत, अन्य देशों से होने वाले आयातों की कीमतें संबद्ध पाटित आयातों की कीमत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हैं। संबद्ध देश से होने वाले कम कीमत वाले आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग को अपनी लाभप्रदता से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसलिए, संबद्ध देश से होने वाले आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

झ) पाटन की मात्रा

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

ञ) क्षति मार्जिन की मात्रा

99. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश के पहुंच-मूल्य की तुलना करने हेतु क्षति-रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति-रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री, सुविधाओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई भी असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय शामिल न किया जाए। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्षति-रहित कीमत ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां

और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को कर-पूर्व लाभ के रूप में स्वीकार किया गया है और इसका पालन किया जा रहा है।

100. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच-मूल्य का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच-मूल्य का निर्धारण किया है।
101. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच-मूल्य और क्षति-रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्रसं.	उत्पादक का नाम	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		अम.डा./एमटी	अम.डा./एमटी	अम.डा./एमटी	%	रेंज (%)
1	पीटीइंदा . किआट पल्प एंड पेपर टीबीके	***	***	***	***	नकारात्मक
2	पीटी रियाउ अंडालन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल	***	***	***	***	35-45
3	अन्य निर्माता	***	***	***	***	70-80

छ.3.4. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

102. क्षति की माजूदगी, तथा घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक भी हो सकते हैं:

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

103. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के अलावा, चीन, फिनलैंड और स्वीडन से भी पर्याप्त मात्रा में आयात किए गए हैं। तथापि, फिनलैंड और स्वीडन से होने वाले आयातों की कीमत संबद्ध देश से होने वाले आयातों की कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति-रहित कीमत की तुलना में काफी अधिक है। इसलिए, उक्त देशों से होने वाले आयातों को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।
104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु का वर्ष 2023-24 में भारत में पाटन किया जा रहा था और घरेलू उद्योग ने बताया है कि चीन और चिली से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी जांच की अवधि के बाद भी भारत में पाटन जारी रहा है। तथापि, वर्तमान

जांच की अवधि के दौरान, इंडोनेशिया से होने वाले पाटित आयातों का पहुंच-मूल्य चीन से होने वाले आयातों के पहुंच-मूल्य से कम है। तदनुसार, इंडोनेशिया से होने वाले पाटित आयातों ने जांच की अवधि के दौरान चीन के आयातों की तुलना में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अधिक कीमत दबाव उत्पन्न किया है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
इंडोनेशिया से पहुंच कीमत	₹/एमटी	54,675
चीन से पहुंच कीमत	₹/एमटी	58,822
अंतर	₹/एमटी	4,147

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को मुख्य क्षति चीन जनवादी गणराज्य और चिली से होने वाले पाटित आयातों के कारण हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में चिली से होने वाले आयातों की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और इसलिए, ऐसे आयातों को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों के कारण भी घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, तथापि इंडोनेशिया के उत्पादकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया है। संबद्ध पाटित आयातों का पहुंच-मूल्य चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों के पहुंच-मूल्य से कम है और इस प्रकार, इंडोनेशिया से होने वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को स्पष्ट क्षति हुई है।
106. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के अंतर्गत पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच "एक कारणात्मक संबंध" का होना आवश्यक है। भले ही इंडोनेशिया से होने वाला आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारकों में से केवल एक कारक हो, फिर भी प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश कर सकते हैं।

"नियम 11. क्षति का निर्धारण।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसके अंतर्गत पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामस्वरूप पड़ने वाला प्रभाव शामिल है, तथा इन नियमों के अनुबंध-11 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध का निर्धारण करेंगे।"

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका - जापान से कतिपय हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी उपाय (डीएस 184) के मामले में पैनल ने माना कि करार में बहुवचन "क्षतियों" का उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले एक से अधिक कारक हो सकते हैं। तथापि, संबद्ध देश से होने वाले पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच "एक कारणात्मक संबंध" होना चाहिए।

"7.251 इस प्रकार, अनुच्छेद 3.5 यह निर्धारण करने से पहले कि पाटित आयात अनुच्छेद 3.2 और 3.4 के अर्थ के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा रहे हैं, जांच प्राधिकारियों से यह अपेक्षा करके त्वरित और अत्यधिक सरलीकृत जांच परिणाम के विरुद्ध चेतावनी देता प्रतीत होता है कि वे उन अन्य ज्ञात कारकों पर विचार और जांच करें जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।"

इन अन्य कारकों पर केवल विचार करना ही पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आयातों को ऐसी क्षतियों का कारण न माना जाए जो वास्तव में इन अन्य कारकों के कारण हुई हैं। हम नोट करते हैं कि करार में बहुवचन 'क्षतियों' का उपयोग किया गया है। यह हमारे लिए यह संकेत देता है कि कई कारक उद्योग को विभिन्न तरीकों से क्षति पहुँचा रहे हो सकते हैं। हमारा मानना है कि प्राधिकारी को यह जांच करनी और सुनिश्चित करना है कि ये अन्य कारक उस कारणात्मक संबंध को प्रभावित न करें जो पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 और 3.4 के अंतर्गत पाटित आयातों की मात्रा और प्रभावों की जांच के आधार पर पाटित आयातों और भारी क्षति के बीच मौजूद प्रतीत होता था।

7.252 पाटनरोधी अपेक्षा के अंतर्गत यह प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है कि पाटित आयातों और उद्योग को हुई काफी अधिक क्षति के बीच 'एक कारणात्मक संबंध' है और प्राधिकारी ऐसी क्षतियां पहुँचाने वाले अन्य कारकों की अपनी जांच में यह सुनिश्चित करें कि वे समय के संयोग को कारणात्मक संबंध समझने की भूल न करें। इस संदर्भ में, हम संयुक्त राज्य अमेरिका - अटलांटिक सैल्मन के मामले में पैनल के निर्णय को, जो टोक्यो दौर के पाटनरोधी कोड के अंतर्गत एक निर्णय था, इस मुद्दे पर उपयोगी और प्रेरक मानते हैं। हम नोट करते हैं कि उस पैनल द्वारा संबोधित संगत भाषा, जो अन्य कारकों से हुई क्षतियों का कारण पाटित आयातों को न माने जाने से संबंधित है, टोक्यो दौर के पाटनरोधी कोड के अनुच्छेद 3:4 में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के समान ही है।"

108. वर्तमान मामले के तथ्यों पर इसे लागू करते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया से होने वाले आयातों का पहुंच-मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत, तथा चीन से आयात की कीमत की तुलना में काफी कम है। ऐसी कम कीमतों के परिणामस्वरूप, जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया से होने वाले पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिससे उन्होंने भारतीय बाजार में हिस्सेदारी हासिल की है। इंडोनेशिया से होने वाले आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में हास किया और न्यूनीकरण किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इंडोनेशिया से होने वाले आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं।

ख. मांग में संकुचन

109. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण मांग में संकुचन नहीं हो सकता है।

ग. उपभोग की प्रवृत्ति

110. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृत्ति में ऐसा कोई वास्तविक बदलाव नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच सकती हो।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

111. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं, जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

112. संबद्ध वस्तु के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी हो।

च. उत्पादकता

113. उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः, क्षति उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

114. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति का कारण घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन नहीं हो सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

115. क्षति के लिए कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में जानकारी को अलग करके प्रदान किया है।

छ.3.5. कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक

116. यद्यपि उपरोक्त कारक यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए पूरी तरह से अन्य कारकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, तथापि प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध मौजूद है। प्राधिकारी इस संबंध में निम्नानुसार नोट करते हैं:

- क. जहाँ अतीत में संबद्ध देश से होने वाले आयात काफी कम थे, वहीं जांच की अवधि में इनमें भारी वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध आयातों में वास्तविक रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ग. आयातों में वृद्धि का श्रेय इस अवधि के दौरान आयातों की काफी कम कीमत को दिया जा सकता है।
- घ. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जिस कारण घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु को घाटे में बेचा है।
- ङ. संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।
- च. यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत स्थिर रही है, तथापि संबद्ध आयातों के पहुंच-मूल्य में गिरावट के कारण बिक्री कीमत में गिरावट आई है।

- छ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह अपने मात्रात्मक मापदंडों को केवल अपनी लाभप्रदता से समझौता करके ही बनाए रखने में सक्षम रहा है।
- ज. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2023-24 और जांच की अवधि में घाटा हुआ है।
- झ. पिछले वर्ष के घाटे की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के घाटे में वृद्धि हुई है।
- ञ. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ में गिरावट आई है।
- ट. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में काफी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।
- ठ. संबद्ध पाटित आयातों के पहुंच-मूल्य ने भारतीय बाजार में कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- ड. पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

117. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- विचाराधीन उत्पाद के आयात पर शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा विनिर्मित अंतिम उत्पादों की उत्पादन लागत में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी।
 - घरेलू उद्योग के दावों के विपरीत, इंडोनेशिया में वानिकी प्रथाएं और कथित वनों की कटाई पाटनरोधी जांच के दायरे से बाहर हैं और इनका उपयोग भारत में पाटन का अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
 - घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, भारतीय उद्योग भारत में किसानों का समर्थन नहीं कर रहा है और एपीपी समूह से पल्प का आयात कर रहा है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इंडोनेशियाई उत्पादक वनों की कटाई में शामिल हैं, तथापि भारतीय उद्योग स्वयं इंडोनेशियाई उत्पादकों से लुगदी का आयात कर रहा है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

118. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- जनहित का निर्धारण (क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ताओं, (ग) उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों, तथा (घ) आम जनता के हितों के संबंध में किया जाना चाहिए।
 - इसका प्रभाव अंतिम उपभोक्ता पर देखा जाना चाहिए न कि प्रसंस्कर्ताओं/कन्वर्टर्स पर, क्योंकि उत्पाद की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव कन्वर्टर्स द्वारा अंतिम उपभोक्ता पर डाल दिया जाता है।

- iii. आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी न किया जाना यह दर्शाता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा मात्रा के आकलन संबंधी पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव नगण्य है।
- v. संबद्ध वस्तु किसी भी डाउनस्ट्रीम उत्पाद के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री नहीं है और इसका उपयोग पैकेजिंग सामग्री, पुस्तक आवरण के रूप में तथा प्रकाशन उद्योग में किया जाता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव मामूली होगा।
- vi. यह नगण्य प्रभाव इस तथ्य से स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी विचाराधीन उत्पाद की कीमत वर्ष 2021-22 और 2022-23 में प्रचलित कीमतों से कम होगी।
- vii. बाजार की स्थिति किसी भी निवेश के अनुकूल नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में घाटा हुआ है।
- viii. इन उपायों को लागू करने से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के इच्छुक 5,00,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित होगी।
- ix. यदि भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहता है, तो घरेलू उद्योग की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका पल्पवुड उगाने वाले किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- x. घरेलू उद्योग द्वारा उपभोग की जाने वाली लुगदी यूकेलिप्टस, सुबाबुल, अकेसिया, पॉपुलर आदि से निर्मित जाती है जिसके कई संधारणीय और पर्यावरणीय लाभ हैं तथा यह देश में हरित आवरण को बढ़ाता है और खराब हुई भूमि का जीर्णोद्धार करता है।
- xi. खरीददारों और उत्पाद के आपूर्तिकर्ताओं के बीच कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं हैं और प्रयोक्ता आसानी से स्रोतों को बदल सकते हैं।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के समकक्ष है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारतीय मांग में घरेलू उद्योग की एक बड़ी हिस्सेदारी है।
- xiii. चूंकि घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है, इसलिए भारतीय उद्योग की व्यवहार्यता खतरे में है।
- xiv. एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जुलाई 2025 में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरू कर दिया है, और भारतीय उद्योग की वर्तमान क्षमता भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- xv. यद्यपि संबद्ध देशों के उत्पादक बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करते हैं, तथापि भारतीय उद्योग वनों की कटाई को बढ़ावा नहीं देता है। इसके बजाय, भारतीय उद्योग द्वारा उन बागानों से लकड़ी प्राप्त की जाती है जो भारतीय उद्योग द्वारा समर्थित और अनुरक्षित हैं।
- xvi. संबद्ध देश के उत्पादक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन की कंपनियों के स्वामित्व में हैं और उन्हें इंडोनेशिया सरकार के साथ-साथ चीन सरकार से भी विभिन्न लाभ मिल रहे हैं। इसने भारतीय बाजार में उचित बाजार स्थितियों को नष्ट कर दिया है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य क्षतिकारी पाटन के प्रभाव को समाप्त करना और घरेलू बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा बहाल करना है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देश से होने वाले आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आयात भारतीय बाजार में उचित कीमतों पर प्रवेश करें। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है; तथापि, ऐसे उपायों का उद्देश्य पाटन की प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले अनुचित लाभ को समाप्त करना और सभी बाजार सहभागियों के लिए समान अवसर स्थापित करना है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य [(2006) 10 एससीसी 368] के मामले में यह अवलोकन किया था कि पाटन कम कीमतों के कारण अल्पावधि में उपभोक्ताओं को अस्थायी लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह घरेलू उद्योग और बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
120. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जाँच शुरुआत की अधिसूचना जारी की थी। विभिन्न हितधारकों, जिनमें घरेलू उद्योग, उत्पादक/निर्यातक और आयातक/प्रयोक्ता/उपभोक्ता शामिल हैं, को वर्तमान जांच से संबंधित संगत जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध नहीं किया है। प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी यह दर्शाती है कि प्रयोक्ता शुल्कों को लागू करने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं।
121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद किसी भी उत्पाद के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग या तो पैकेजिंग के लिए या प्रकाशन उद्योग या पुस्तक आवरणों में किया जाता है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद कच्चा माल नहीं है, इसलिए डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव नगण्य होगा।
122. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत में बदलाव के साथ डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है। अन्य पक्षकारों द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया है। यह नोट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में, भारत में उपभोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उपभोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव 0.6% से भी कम है।

विवरण	यूनिट	साबुन 75 ग्रा.	आइस क्रीम 750 मिली	हौजरी प्रीमियम	अगरबत्ती 88 ग्रा.
डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत	₹	50	150	300	55
एक यूनिट में खपत की गई वीपीबी	किग्रा.	0.007	0.023	0.018	0.016

वीपीबी की पंहच कीमत	₹/ किग्रा.	54.67	54.67	54.67	54.67
वीपीबी की लागत	₹	0.38	1.26	0.99	0.88
एडीडी (लगभग)	₹/ किग्रा.	20	20	20	20
एडीडी के बाद वीपीबी की कीमत	₹/ किग्रा.	74.67	74.67	74.67	74.67
वीपीबी की लागत	₹	0.52	1.72	1.34	1.19
प्रभाव	₹	0.143	0.458	0.354	0.315
प्रभाव	%	0.29%	0.31%	0.12%	0.57%

*स्रोत: आवेदक की याचिका और डीजीटीआर की गणनाएं

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद की कमी नहीं होगी। भारतीय उद्योग की क्षमताएं भारत में संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा, एनआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी भारत में संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू कर दिया है और इस प्रकार, जांच की अवधि के बाद भारतीय उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि हुई है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क को लागू करना भारत में आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है, तथापि देश में कोई मांग-आपूर्ति में अंतर भी नहीं है। इस प्रकार, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद विचाराधीन उत्पाद का आयात बंद भी हो जाता है, तो भी भारत में संबद्ध वस्तु की उपलब्धता की कोई कमी नहीं होगी।

विवरण	यूनिट	पीओआई
भारत में क्षमता	एमटी	16,90,000
मांग	एमटी	***
उपलब्ध अधिशेष क्षमता	एमटी	***

124. घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग द्वारा सृजित रोजगार सुरक्षित रहेगा। भारतीय उद्योग भारत में बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। भारतीय उद्योग उन बागानों से लकड़ी प्राप्त करता है जो भारतीय उद्योग द्वारा समर्थित और अनुरक्षित हैं। पेपर मिलों के आसपास के क्षेत्रों के किसानों को लकड़ी की उन विभिन्न किस्मों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिनका उपयोग कागज उद्योग द्वारा किया जाता है। ये पेपर मिलें किसानों को पौधे उपलब्ध कराती हैं, उन्हें पौधों की खेती करने के लिए प्रशिक्षित करती हैं और पेड़ के परिपक्व होने पर लकड़ी खरीदने की प्रतिबद्धता भी करती हैं।
125. पूर्वोक्त के आलोक में, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि शुल्क का अधिरोपण, यदि उसे लगाया जाता है, तो जनहित के अनुरूप होगा।

झ. प्रकटन विवरण पश्चात टिप्पणियां

- झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

126. हितबद्ध पक्षकारों ने लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड और सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड के आयातों की अनुपस्थिति, मात्रा संबंधी मानकों में वृद्धि को देखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की अनुपस्थिति, मांग-आपूर्ति अंतर, पाटनरोधी शुल्क और एमआईपी के बीच अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मुख्य कारण चीन से आयात होने संबंधी अपनी पूर्व अनुरोधों को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण जारी होने के पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. आरएपीआई के लिए पाटनरोधी शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में निर्धारित क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन में से कमतर के आधार पर होना चाहिए।
 - ii. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड, सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड और मुद्रण अनुप्रयोग हेतु टू-साइडेड आर्टबोर्ड के अपवर्जन की पुष्टि कर सकते हैं।
 - iii. भारत में मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन करने के लिए प्राधिकारी भारतीय उद्योग की क्षमताओं पर निर्भर नहीं कर सकते, विशेषकर जब भारतीय उद्योग विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद दोनों का उत्पादन करता है तथा घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोगिता 100% है। चूंकि घरेलू उद्योग लगभग संपूर्ण भारतीय उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और पहले से ही पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रहा है, भारत में आयात यह दर्शाते हैं कि मांग का कुछ भाग आयातों से पूरा किया जा रहा है और बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर विद्यमान है।
 - iv. चीन और चिली से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश को वित्त मंत्रालय द्वारा अस्वीकार किया जाना यह दर्शाता है कि सरकार पाटनरोधी शुल्क और एमआईपी के रूप में अतिव्यापी उपायों को लगाए जाने के पक्ष में नहीं है।
 - v. पाटनरोधी शुल्क संदर्भ मूल्य के रूप में लगाया जाना चाहिए क्योंकि वह एमआईपी के समान है और स्थिर अथवा यथामूल्य शुल्क लगाया जाना प्रतिकूल और अनुचित होगा, क्योंकि निर्यातक को पहले एमआईपी के बराबर कीमतों पर निर्यात करना होगा और उसके बाद पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करना होगा।
 - vi. चूंकि एमआईपी लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, इसलिए एमआईपी घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त संरक्षण है।
 - vii. चूंकि भारतीय बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर है, इसलिए संदर्भ कीमत शुल्क उपयुक्त है। आगे, एमआईपी वापस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को संदर्भ मूल्य शुल्क के रूप में समान संरक्षण मिलता रहेगा।
 - viii. क्षति अवधि के दौरान इंडोनेशिया से आयातों का आयातों में नगण्य हिस्सा है और ऐसी मात्राएं घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए महत्वहीन हैं।
 - ix. पीटी इंडाह क्विटाट पल्प एंड पेपर टीबीके ने नगण्य मात्रा में निर्यात किया है। ऐसे नगण्य आयातों को पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रतिनिधिक नहीं माना जा सकता।
 - x. यह प्राधिकारी की सतत प्रथा है कि जहां किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात मात्रा में नगण्य हों और उच्च कीमत पर हों, वहां वैयक्तिक मार्जिन के निर्धारण के लिए वास्तविक आंकड़ों को अस्वीकार किया जाता है। ऐसी पद्धति थाईलैंड और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स; चीन से फ्लोरो बैकशीट; चीन से सेकरीन और चीन से मिथाइल एसोटीएसोटीट के मामलों में अपनाई गई है।

- x. घरेलू उद्योग की कीमत संबंधी क्षति का समाधान जांच अवधि के पश्चात और एमआईपी लगाए जाने के कारण हो गया है। अतः घरेलू उद्योग के जांच अवधि के पश्चात प्रदर्शन की जांच की जानी चाहिए।
- xii. जांच अवधि के पश्चात भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अवमूल्यित हुआ है और इस अवमूल्यन के कारण आयात कीमत 12% बढ़ी है। अतः पाटनरोधी शुल्क को अमेरिकी डॉलर के अवमूल्यन के संबंध में समायोजित किया जाना चाहिए।
- xiii. यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं, तो इसे दो वर्ष की सीमित अवधि के लिए सिफारिश किया जाना चाहिए ताकि कोई अवांछित उपाय अनावश्यक रूप से लंबी अवधि तक लागू न रहे।
- xiv. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तालिका में केवल पीटी इंडाह क्विटाट पल्प एंड पेपर का उल्लेख किया है। तथापि, शुल्क तालिका में पीटी पिंदो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए दोनों संस्थाओं के उत्तरों की जांच की गई है। प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुसार एक ही समूह से संबंधित उत्पादकों को समान शुल्क दिया जाता है।

झ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

127. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण जारी होने के पश्चात निम्नलिखित नई अनुरोध किए हैं:
 - i. पीटी इंडाह क्विटाट विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक नहीं है और भारत को केवल पेपर निर्यात करता है। अतः उसे वैयक्तिक शुल्क प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।
 - ii. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना सार्वजनिक हित में है क्योंकि उपयोगकर्ताओं ने दीर्घकालिक अनुबंध नहीं किए हैं और वे आसानी से आपूर्तिकर्ता बदल सकते हैं।
 - iii. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उद्योग भारत में मांग के अधिकांश भाग की आपूर्ति करता है और आयात केवल निर्यातकों द्वारा दी जा रही कम कीमतों के कारण बढ़े हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता भारत में आयातित उत्पाद के समकक्ष है।
 - iv. घरेलू उद्योग को भारत में पाटन के कारण ₹150 करोड़ से अधिक की हानि हुई है।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

128. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट किया है कि कई अनुरोध दोहराव मात्र हैं, जिनकी पहले ही अंतिम जांच परिणाम के संबंधित पैराग्राफों में उपयुक्त रूप से जांच और पर्याप्त रूप से निराकरण किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में उठाए गए मुद्दों में से, जिन्हें पर्याप्त साक्ष्य से समर्थित पाया गया है और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, उनका परीक्षण नीचे किया गया है।
129. इस अनुरोध के संबंध में कि आरएपीआई पर लागू पाटनरोधी शुल्क क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन में से कमतर के आधार पर होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन में से कमतर के आधार पर लगाया गया है।

130. तरल पैकेजिंग बोर्ड और ठोस ब्लीचड सल्फेट बोर्ड के बहिष्करण के संबंध में, प्राधिकारी ने प्रासंगिक खंड में विस्तार से जांच की है, कि प्राधिकारी की स्थापित प्रथा केवल तभी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उत्पाद प्रकार को बाहर करने के लिए है जब उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है। इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में तरल पैकेजिंग बोर्ड और ठोस ब्लीचड सल्फेट बोर्ड का उत्पादन और बिक्री की है। इसके अलावा, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड है, जिसे भारत में आयात किया जा रहा है। तरल पैकेजिंग बोर्ड और ठोस ब्लीचड सल्फेट बोर्ड विचाराधीन उत्पाद के केवल प्रकार या ग्रेड हैं। इसलिए, प्राधिकारी द्वारा इसे बाहर नहीं किया गया है।
131. मुद्रण अनुप्रयोग के लिए दो तरफा लेपित आर्टबोर्ड के बहिष्करण के संबंध में, यह नोट किया गया है कि मुद्रण अनुप्रयोग के लिए दो तरफा लेपित आर्टबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
132. इस संबंध में कि मांग-आपूर्ति अंतर की जांच घरेलू उद्योग की बिक्री के संबंध में की जानी है, न कि घरेलू उद्योग की क्षमता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग की समग्र क्षमता भारत में मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादकों की क्षमता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा, किसी भी मामले में, मांग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व शुल्क लगाने से नहीं रोकता है। शुल्क लगाने के बाद भी, मांग-आपूर्ति अंतर की परवाह किए बिना, आयातक उचित कीमतों पर आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
133. प्राधिकारी ने मौजूदा न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) के संबंध में अनुरोधों की जाँच की है। यह नोट किया गया है कि एमआईपी अस्थायी प्रकृति की है, केवल 30.09.2026 तक वैध है, और घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि इसे केवल पाटनरोधी शुल्क लगाने तक बनाए रखने का अनुरोध किया गया था। इसलिए, एमआईपी का अस्तित्व दोहरे संरक्षण के बराबर नहीं है और पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। एमआईपी लागू घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, और एमआईपी को आयात मूल्य के रूप में माना जाता है तो भी क्षति का मार्जिन महत्वपूर्ण बना हुआ है।
134. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के लिए पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की जाती है। जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग का प्रदर्शन वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।
135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान जांच में संदर्भ मूल्य शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के उत्तरों की जांच करने के पश्चात स्थिर रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है।
136. इस अनुरोध के संबंध में कि इंडोनेशिया पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अप्रभावी होगा क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति का प्रमुख स्रोत चीन से आयात हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान इंडोनेशिया से आयातों की पहुंच कीमत चीन से आयातों की पहुंच कीमत से कम है। चूंकि घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी क्षति हुई है, उसे भारत में न्यूनतम कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए विवश होना पड़ा है। अतः इंडोनेशिया से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से इंडोनेशिया से पाटन के प्रभाव का उपचार होगा।

137. पीटी इंडाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके को व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क न प्रदान किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग के निवेदन के संदर्भ में, क्योंकि उसने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त उत्पादक द्वारा दाखिल उत्तर का सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि उक्त उत्पादक ने फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड के साथ-साथ कप स्टॉक का भी भारत को उत्पादन और निर्यात किया है, जो विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हैं। तदनुसार, पीटी इंडाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके के लिए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किए गए हैं।
138. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए दावों के संबंध में कि किसी एक सहयोगी उत्पादक और निर्यातक द्वारा संबद्ध देश से पीयूसी के नगण्य आयात के लिए कोई व्यक्तिगत मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए, यह ध्यान दिया जाता है कि सहयोगी उत्पादक और निर्यातक से निर्यात की मात्रा की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादक और निर्यातक को व्यक्तिगत मार्जिन देना उचित पाया है।
139. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे घटनाक्रम जांच अवधि के पश्चात के हैं। मार्जिन जांच अवधि के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं और अतः जांच अवधि के लिए प्रासंगिक विनिमय दर पर विचार किया गया है। किसी भी स्थिति में, रुपये का अवमूल्यन पाटन मार्जिन को प्रभावित नहीं करता। क्षति मार्जिन के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा उपभोग किए जाने वाले कच्चे माल का एक भाग भी आयातित है और रुपये का अवमूल्यन भारत में क्षतिरहित कीमत को भी प्रभावित करेगा। अंततः, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादक अपने उत्पादों का विपणन अमेरिकी डॉलर में करते हैं, न कि भारतीय रुपये में। ऐसी स्थिति में, चूंकि उत्पाद का लेनदेन अमेरिकी डॉलर में होता है, रुपये का अवमूल्यन शुल्क की मात्रा के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं है।
140. प्रकटन विवरण में गोपनीय जानकारी के अनजाने प्रकटीकरण से संबंधित प्रस्तुति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुरोधों की जांच की गई है। जहां भी अनजाने लिपिक त्रुटियां देखी गई हैं, उन्हें इन अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से सुधारा गया है।
141. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यदि शुल्क लगाया जाता है, तो इसे केवल दो वर्ष की अवधि तक सीमित रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पांच वर्ष से कम अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने हेतु कोई परिस्थिति या कारण नहीं बताया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने अपनी सतत प्रथा के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है। यदि परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे शुल्क वापस लेने अथवा शुल्क की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो हितबद्ध पक्षकार बाद के चरण में मध्यावधि समीक्षा की मांग कर सकते हैं।
142. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संबंधित पक्ष पीटी इंडाह कियात पल्प एंड पेपर के साथ शुल्क तालिका में "पीटी पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स" का नाम शामिल करने का अनुरोध किया है। मामले की जांच की गई है, और यह नोट किया गया है कि पीटी. पिंडो डेली पल्प एंड पेपर टीबीके ("पिंडो डेली") पीटी. इंडाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके ("इंडाह कियात") की एक संबंधित इकाई है, और जांच की अवधि ("पीओआई") के दौरान, पिंडो डेली ने विशेष रूप से इंडोनेशियाई घरेलू बाजार और भारत दोनों में दोतरफा कोटेड आर्टबोर्ड ("एटीबी") की बिक्री और निर्यात किया। चूंकि प्राधिकारी ने मुद्रण उद्देश्यों के लिए आयात किए जाने पर दो-तरफा आर्टबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") के दायरे से बाहर कर दिया है, इसलिए पिंडो डेली द्वारा एटीबी की घरेलू और निर्यात बिक्री को पाटन मार्जिन गणना में शामिल नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, पिंडो डेली वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए पीओआई के दौरान पीयूसी के निर्माता या निर्यातक के रूप में योग्य नहीं है।

143. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि वर्तमान जांच में पिंडो डेली के लिए शून्य शुल्क दर निर्धारित नहीं की जा सकती है। शून्य शुल्क दर सहित एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रश्न में इकाई के जांच की अवधि के दौरान पीयूसी के वास्तविक उत्पादक और/या निर्यातक होने पर आधारित है। चूंकि पिंडो डेली ने पीओआई के दौरान भारत को पीयूसी का उत्पादन या निर्यात नहीं किया है, इसलिए यह व्यक्तिगत शुल्क दर के अनुदान के लिए मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। केवल यह तथ्य कि पिंडो डेली इंडाह कियात की एक संबंधित इकाई है, जो पीयूसी का एक सहकारी निर्माता है, अपने आप में पिंडो डेली को शून्य या व्यक्तिगत शुल्क दर के लाभ का हकदार नहीं बनाता है। एक संबंधित इकाई जो स्वयं पीयूसी का उत्पादक या निर्यातक नहीं है, उसे पीयूसी के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के रूप में समान व्यवहार नहीं दिया जा सकता है। अन्यथा रखने का तात्पर्य यह होगा कि उत्पादक/निर्यातक की सभी संबंधित संस्थाएं, चाहे उन्होंने भारत को पीयूसी का उत्पादन और निर्यात किया हो या नहीं, शून्य पाटनरोधी शुल्क के हकदार हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा प्रस्ताव अस्थिर है और पाटनरोधी नियमों की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान जांच में पीटी. पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स के लिए शून्य शुल्क दर सहित कोई व्यक्तिगत शुल्क दर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

ज. निष्कर्ष

144. प्राधिकारी, जांच के दौरान उठाए गए मुद्दों, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों की जांच करने के पश्चात, निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित है:

“विचाराधीन उत्पाद केवल सफेद/वर्जिन वुड पल्प से निर्मित मल्टी-लेयर बोर्ड है, चाहे वह कोटेड हो या अनकोटेड, और इसे वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद कागज की अनेक परतों को जोड़कर बनाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद वृक्षों के रेशों से प्राप्त पल्प से बनाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में आता है। विचाराधीन उत्पाद में फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर अथवा बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड, सभी 140 से 450 जीएसएम की सीमा में शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित को अपवर्जित किया जाता है:

- i. पुनर्चकित/ब्राउन पल्प अथवा फाइबर अथवा पुनर्चकित पल्प और वर्जिन पल्प के संयोजन से निर्मित पेपरबोर्ड, चाहे अनुपात कुछ भी हो।
- ii. कोटेड/अनकोटेड सिगरेट बोर्ड।
- iii. दो तरफ से लेपित आर्टबोर्ड जब मुद्रण उद्देश्यों के लिए आयात किया जाता है
- iv. चार या अधिक परत वाले पेपरबोर्ड, या तो लेपित, अनकोटेड या प्लास्टिक सामग्री, एल्यूमीनियम या अन्य धातु के साथ लेमिनेटेड तरल पैकेजिंग सामग्री के लिए।
 - विचाराधीन उत्पाद केवल 100% सफेद/वर्जिन लकड़ी की लुगदी से बना है।
 - घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड और सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड का उत्पादन और बिक्री की है। अतः प्राधिकारी द्वारा इन्हें अपवर्जित नहीं किया गया है।
 - मुद्रण अनुप्रयोग के लिए दो तरफा लेपित आर्टबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

- घरेलू उद्योग ने तरल पैकेजिंग सामग्री के लिए प्लास्टिक सामग्री, एल्यूमीनियम या अन्य धातुओं के साथ लेपित या लेमिनेटेड चार या अधिक परत वाले संसाधित पेपरबोर्ड का उत्पादन और बिक्री नहीं की है और इसे जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु पाया गया है।
- iii. आवेदन भारतीय पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा भारत के सभी घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है। भारत में कुल 6 उत्पादक हैं, जिनमें से 5 ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विस्तृत सूचना प्रदान की है। वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के आवेदन का समर्थन किया है।
- iv. आवेदक घरेलू उत्पादक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थायित्व संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- v. प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित सूचना के आधार पर किया है।
- vi. पीटी पिंदो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स आर्टबोर्ड का उत्पादक है और उसने भारत को वही निर्यात किया है। चूंकि उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित किया गया है, और उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री नहीं की है, तदनुसार पीटी पिंदो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स को वर्तमान जांच में वैयक्तिक शुल्क प्रदान नहीं किया गया है।
- vii. संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- viii. घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:
 - क. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी क्षति की अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से काफी वृद्धि हुई है।
 - ख. हालांकि 2023-24 तक संबंधित देश से संबंधित सामान का आयात न के बराबर था, लेकिन 2024-25 में आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है।
 - ग. संबद्ध आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि की दर से अधिक दर पर हुई है।
 - घ. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
 - ड. संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत सभी प्रमुख निर्यातक देशों में सबसे कम है। घरेलू उद्योग को भारत में आयातों की सबसे कम कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।
 - च. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का हास और न्यूनीकरण किया है। घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतों को अपनी बिक्री लागत में कमी से अधिक कम करने के लिए विवश होना पड़ा है।

- छ. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता और उत्पादन क्षति अवधि में बढ़े हैं।
- ज. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा क्षति अवधि में बढ़ा है।
- झ. घरेलू उद्योग की मालसूची क्षति अवधि में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को हानि पर बेचा है, मालसूची में वृद्धि हुई है।
- ञ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता क्षति अवधि में महत्वपूर्ण रूप से कम हुई है। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वित्तीय हानियां उठाई हैं।
- ट. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय क्षति अवधि में महत्वपूर्ण रूप से घटे हैं।
- ठ. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।
- ड. घरेलू उद्योग की ब्याज और मूल्यहास लागत क्षति अवधि में घटी है।
- ढ. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम कीमत पर हैं और उन्होंने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- ण. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
- त. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है। संबद्ध देश के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- थ. घरेलू उद्योग को क्षति भारतीय बाजार में पाटन के कारण हुई है। किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।
- द. यद्यपि चीन जन. गण. से आयात इंडोनेशिया से आयातों से अधिक हैं, इंडोनेशिया की पहुंच कीमत चीन जन. गण. से आयातों की कीमत से कम है। घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में आयातों की न्यूनतम कीमत से प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
- ध. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।
- ix. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार सभी ज्ञात कारकों की जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है। मांग में वृद्धि हुई, उत्पादकता में सुधार हुआ, प्रौद्योगिकी अथवा खपत की पद्धति में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ, और क्षति की जांच घरेलू परिचालनों के संदर्भ में की गई है। फिनलैंड और स्वीडन से आयात अधिक कीमतों पर थे, चिली से आयात नगण्य थे, और यद्यपि चीन से आयात मौजूद थे, इंडोनेशिया की पहुंच कीमत चीन से ₹4,147/मी.टन कम थी। प्राधिकारी द्वारा जांचे गए अन्य ज्ञात कारक पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति के बीच स्थापित कारणात्मक संबंध को कमजोर नहीं करते।
- x. प्राधिकारी ने विद्यमान न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) संबंधी प्रस्तुतियों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि एमआईपी अस्थायी प्रकृति का है, केवल 30.09.2026 तक वैध है, और घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि उसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तक ही बनाए रखने का अनुरोध किया गया था। अतः एमआईपी का अस्तित्व दोहरे

संरक्षण के समान नहीं है और पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता। लागू एमआईपी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, और यदि एमआईपी को आयात कीमत माना भी जाए, तब भी क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण बना रहता है।

- xi. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना निम्नलिखित कारणों से सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा:
- क. विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से पैकेजिंग प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चा माल नहीं है।
- ख. किसी भी उपयोगकर्ता, उपभोक्ता अथवा आयातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है अथवा प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है।
- ग. प्राधिकारी ने डाउनस्ट्रीम उद्योग और उपभोक्ताओं पर अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की है। डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्क का परिमाणित प्रभाव 0.6% से कम है। आगे, घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता 16,90,000 मी.टन है, जबकि मांग *** मी.टन है, जिससे *** मी.टन की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू बाजार में कोई मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है और डाउनस्ट्रीम उद्योग तथा उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव न्यूनतम रहने की संभावना है।
- xiii. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से उद्भूत अथवा निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित और क्षतिकारी आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक मानते हैं, उन निर्यातकों/उत्पादकों को छोड़कर जिनका पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन नकारात्मक है और उन उत्पाद प्रकारों को छोड़कर जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं, ताकि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके और घरेलू बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल की जा सके।

ट. सिफारिश

145. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया तथा घरेलू उद्योग, ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच आरंभ करने और संचालित करने के पश्चात, प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी इंडोनेशिया से उद्भूत अथवा निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने को आवश्यक मानते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।
146. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क

तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं	शीर्ष	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4805 और 4810*	वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड**	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी रियाउ अंडालन पेपरबोर्ड इंटरनेशनल	261	एमटी	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी इंडा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके	निल (Nil)	-	-
3	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 1 या 2 के अलावा अन्य कोई उत्पादक	376	एमटी	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया के अलावा अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई	376	एमटी	अम.डॉ.

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

** “विचाराधीन उत्पाद केवल सफेद/वर्जिन वुड पल्प से निर्मित मल्टी-लेयर बोर्ड है, चाहे वह कोटेड हो या अनकोटेड, और इसे वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद कागज की अनेक परतों को जोड़कर बनाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद वृक्षों के रेशों से प्राप्त पल्प से बनाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में आता है। विचाराधीन उत्पाद में फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लिचड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर अथवा बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड, सभी 140 से 450 जीएसएम की सीमा में, शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित को अपवर्जित किया जाता है:

- पुनर्चक्रित/ब्राउन पल्प अथवा फाइबर अथवा पुनर्चक्रित पल्प और वर्जिन पल्प के संयोजन से निर्मित पेपरबोर्ड, चाहे अनुपात कुछ भी हो।
- कोटेड/अनकोटेड सिगरेट बोर्ड।
- मुद्रण प्रयोजनों के लिए आयातित टू-साइड कोटेड आर्टबोर्ड।
- प्लास्टिक सामग्री, एल्युमिनियम अथवा अन्य धातु से कोटेड, अनकोटेड अथवा लैमिनेटेड चार अथवा अधिक परतों वाला पेपरबोर्ड, जो लिक्विड पैकेजिंग सामग्री के लिए हो।”

➤ मुद्रण अनुप्रयोग हेतु टू-साइडेड कोटेड आर्टबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित किया गया है।

नोट – उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित उत्पादकों के लिए निर्दिष्ट वैयक्तिक शुल्क दरों का प्रयोग सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर होगा, जिस पर ऐसे

चालान जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी द्वारा, जिसका नाम और पद अंकित हो, दिनांकित और हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा अंकित होगी:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक में सम्मिलित भारत को निर्यात हेतु बेचे गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण [संबंधित देश] में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।”

यदि ऐसा बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

ठ. आगे की प्रक्रिया

147. इन अंतिम जांच परिणामों से उत्पन्न केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th June, 2026

(Case No. – AD (OI) – 17/2025)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Virgin Multi-layer Paperboards” originating in or exported from Indonesia.

F.No. 06/20/2025 – DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”);

2. Whereas, the Indian Paper Manufacturer Association (“IPMA” or the “applicant association”) filed an application before the Designated Authority (“Authority”), on behalf of the domestic industry, seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Virgin Multi-Layer Paperboard (“subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from Indonesia (“subject country”). The following member companies of the applicant association (hereinafter also referred to as “applicant domestic producers”) provided information for the present investigation:
 1. Aditya Birla Real Estate Limited (formerly Century Textiles and Industries Limited)
 2. Emami Paper Mills Limited
 3. JK Paper Limited
 4. ITC Limited
 5. Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited (TNPL)
3. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/20/2025-DGTR dated 30th June 2025, published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the product under consideration from Indonesia in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and the consequent injury to the domestic industry, and to recommend the amount of anti-dumping duty that would be adequate to remove such injury.

A. PROCEDURE

4. The Authority followed the procedure described below in the present investigation:

A.1 Initiation

- i. The Authority received a written application from the domestic industry alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry.
- ii. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 of the Rules.
- iii. In accordance with Rule 6 of the Rules, the Authority issued a Public Notice dated 30th June 2025, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
- iv. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country through its Embassy in India, the known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant, and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

A.2 Circulation of Non-Confidential Version of the Application

- i. In accordance with Rule 6(3) of the Rules, the Authority provided a copy of the non-confidential version (NCV) of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country through its Embassy in India.
- ii. A copy of the NCV of the application was also made available to other interested parties, wherever requested.

A.3 Participation by Exporters of Subject Country

- i. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, the Authority sent exporter's questionnaire to the known producers/exporters from the subject country to elicit relevant information.
- ii. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- iii. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters from the subject country:
 - a. APP Indonesia
 - b. Asia Pacific Resources International Limited
 - c. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
- iv. The following producers/exporters from the subject country have filed exporter's questionnaire response:
 - a. PT Riau Andalan Paperboard International, Indonesia**
 - i. Asia Pacific Paperboard Trading Pte. Ltd., Singapore

b. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Indonesia**c. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills, Indonesia**

- i. Gilstead Pacific (HK) Limited, Hong Kong
- ii. Golden Profit Trading Pte. Ltd., Singapore

A.4 Participation by Importers/Users

- i. The Authority forwarded a copy of the initiation notification along with importer's/user's questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India in accordance with Rule 6(4) of the Rules and advised them to make their views known within the prescribed time limit:

1. Advik Enterprises
2. All India Trading Solutions
3. Aman Paper Company
4. A.K. Trading (Paper) Private Limited
5. Asia Pulp & Papers Private Limited
6. Brid Papers
7. ECLAT Papers
8. C.H. Java Co.
9. Chaganraj Co.
10. Chimanlal Fein Paper Private Limited
11. Deepak Paper Company
12. Frontro Covertor
13. Green Globe Impex Private Limited
14. Garg Paper Mart
15. Hero Multi Paper Private Limited
16. I N Impex
17. Jana Agencies & Industries
18. Kagaj Digital Paper Private Limited
19. Kokuyo Riddhi Paper Products Private Limited
20. Lakshaya Paper
21. Mandagini Seals
22. M.L.M. (India) Limited
23. Narsingh Dass & Co. Private Limited
24. Paper Corporation
25. PLG Impex
26. PNG Global
27. Pragati Paper Co.
28. Prisma World
29. Prabhat Paper Mart
30. RD Impex
31. Rajiv Ranjan
32. Sarthak Enterprises
33. Shanthi Corporation
34. Shree Ashtavinayak Papers Private Limited
35. Shri Krishna Impex

36. Shivananda Marketing Private Limited
37. Sri Ayyappa Poly Paper & Boards
38. Speciality Paper and Boards Private Limited
39. Supreme India Company
40. Swastik Paper Company
41. Srinivas Papers Impex LLP
42. Syndicate Printers Limited
43. Singhanian Alu Foil Containers Manufacturing Company
44. TM Enterprises Private Limited
45. TCPL Packaging Limited
46. Temple Packaging Private Limited
47. Tetra Pack India Private Limited
48. Uflex Limited
49. Venus Paper Corporation
50. Vibgyor Global Trade Private Limited
51. Vital Paper Products Private Limited

- ii. None of the importers/users have filed importer's/user's questionnaire response in the present investigation.

A.5 Participation by Associations

- i. A copy of the initiation notification and the non-confidential version of the application was sent to the following associations:
 - a. ASSOCHAM
 - b. CII
 - c. Federation of Paper Traders' Associations of India
 - d. FICCI

A.6 Period of Investigation and Injury Period

- i. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury investigation period covers the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the POI.

A.7 Further Procedures

- i. The Authority invited comments from the interested parties regarding the Product Control Number (PCN) methodology proposed by the domestic industry. Based on the comments received from the interested parties, the Authority notified the PCN methodology vide notification dated 2nd September, 2025.
- ii. Request was made to DG Systems to provide transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and the POI. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume and value of imports and the required analysis after due examination of the transactions.
- iii. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to the Embassy of the subject country, all known exporters, importers and the domestic industry. The following interested parties filed responses to the EIQ:

1. Domestic industry
 2. PT Riau Andalan Paperboard International
 3. Asia Pacific Paperboard Trading Pte. Ltd.
 4. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
 5. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills
 6. Gilstead Pacific (HK) Limited
 7. Golden Profit Trading Pte. Ltd.
- iv. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website and all interested parties were directed to exchange the non-confidential versions of their submissions with all other interested parties.
- v. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 28th January, 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were requested to file written submissions and rejoinder submissions thereafter.
- vi. Submissions in the present investigation were filed on behalf of the following interested parties:
1. Domestic industry
 2. Government of Indonesia
 3. PT Riau Andalan Paperboard International
 4. Asia Pacific Paperboard Trading Pte. Ltd.
 5. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
 6. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills
 7. Gilstead Pacific (HK) Limited
 8. Golden Profit Trading Pte. Ltd.
- vii. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the subject goods so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry. The NIP has been determined based on the optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules.
- viii. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in the present disclosure statement.
- ix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been treated as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing confidential information were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- x. In accordance with Rule 6(8) of the Rules, wherever an interested party has refused access to or otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded its findings on the basis of facts available.
- xi. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties to the extent possible and verified the data/documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xii. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 18th June, 2026 and the interested parties were allowed time up to 22nd June, 2026 to file comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.
- xiii. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the domestic industry and the other interested party during the course of the investigation, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purposes, in making the final findings.
- xiv. In this final findings, “***” represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xv. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is US\$ 1 = ₹ 85.43.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation of the present investigation, the following was considered as the scope of the product under consideration.

“The product under consideration is multi-layer board made of white / virgin wood pulp, whether coated or uncoated, and is also known as Virgin Multi-Layer Paperboard. The product under consideration is made up of multiple layers of paper bonded together. The product under consideration is made up of pulp from fibre of trees. The product under consideration comes in various grades. The product under consideration includes Folding Box Board (FBB), Solid Bleached Sulfate Board (SBS), Cup Stock Paper or Board and Liquid Packaging Board, all in the range of 140 to 450 GSM. These are classified into two main categories, virgin grade which is manufactured from fibre of the trees and recycled grade manufactured from fibres obtained from recovered paper and paperboard.

Coated/uncoated Cigarette board and paperboards made out of recycled/brown pulp or fibre are excluded from the scope of the product under consideration.”

B.1. Views of other interested parties

6. The other interested parties have made any submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article.
 - i. The scope of the product under consideration is defined based on raw material, that is virgin pulp. However, the defined product scope is unclear on products made from combination of recycled and virgin pulp. If products made from any combination of recycled and virgin pulp are included, it must be clarified.
 - ii. The scope of product under consideration is too broad and includes various articles which are inter-se different and cannot be considered as like articles.
 - iii. SBS and LPB are specific types of the product, having different raw material, pricing and properties as compared to FBB and artboard. Such articles or specific types of products must be excluded from scope of product under consideration as they have not been manufactured in or exported from Indonesia and have not been dumped in India during the period of investigation.
 - iv. Two-sided coated artboard when imported for printing application has been excluded by the domestic industry in the anti-subsidy investigation into imports of the subject goods from Indonesia and China. Since the same domestic industry forms part of the present investigation, there is no need for inclusion of the same in the present investigation.
 - v. The HS codes listed in initiation notification are excessively broad. The producers/exporters have only exported under 48102900 and 48119099.
 - vi. The applicant must provide evidence to show imports are made under all codes mentioned in the application.
 - vii. HS codes for the product under consideration must be limited to the description of HS codes and actual import data for India.
 - viii. Since the Authority has already clarified that product with recycled pulp is not included in the scope of product under consideration, only those HS Codes should be considered which are consistent with the revised product description and supported by actual import data.

B.2. Views of the domestic industry

7. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:
 - i. The product produced by domestic industry is like article to the product imported from the subject country.
 - ii. The Authority may clarify that the product under consideration proposed includes products made up of 100% white / virgin wood pulp, whether coated or not. The product under consideration cannot be manufactured using recycled pulp.
 - iii. The product under consideration is being imported under various HS Codes identified by the domestic industry. The duties shall be imposed only on

- products which fall under the product description imported under HS Codes notified, causing no prejudice to the interested parties.
- iv. The product under consideration includes different types of products, including, FBB, SBS, LPB, Artboard and Cup stock, having varying descriptions. For this reason, the inclusion of all HS Codes is necessary to avoid possible avoidance of duty.
 - v. Even if responding exporters have exported under two HS Codes, the product has been imported under different HS Codes. It may be the case that the responding exporters are not the only exporters from Indonesia.
 - vi. Consideration of all HS Codes is also necessary to determine the total import volume and value from subject and non-subject countries.
 - vii. Exclusion of LPB and SBS is not justified as the product which has not been imported cannot be excluded as exporters may produce the products after imposition of duties. The domestic industry has produced the concerned product, and the machinery, raw material, production process, production technology, and other factors of production are the same or similar for different product types.
 - viii. The presence of like article or absence thereof cannot be determined without imports of such article. The domestic industry has produced and sold LBP and SBS and cannot be excluded from product scope. This is consistent with previous findings issued by the Authority in anti-dumping investigations on imports of Glufosinate and its salt; Isobutylene Rubber (IIR) and Peroxosulphates (Persulphates).
 - ix. The manufacturing plant and equipment for SBS and LPB and other types of Virgin Multi-layer Paperboards are same. Thus, even if the exporters/producers have not exported the concerned products during period of investigation, the producers in Indonesia have sufficient capacity to produce LPB and SBS.
 - x. The domestic industry has been suffering from dumped imports from Indonesia for 16 months and it should not be expected to approach the Authority for separate types as the dumping starts.
 - xi. The application includes prima facie evidence of dumping and there is no need to examine dumping of each product type.
 - xii. In Colombia – Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, Germany and the Netherlands [WT/DS591/7], WTO Panel held that Article 5(2) does not require exclusion of product types that are not imported from the scope of the product under consideration.
 - xiii. The different types of the products have common attributes. There is no requirement under the WTO or the Anti-dumping Rules that the product under consideration may be internally homogenous, and duty may be sought on products which have been dumped and caused injury to the domestic industry.
 - xiv. The PCNs proposed may be finalised as the same are consistent with the ongoing investigation into imports from China PR and Chile.
 - xv. Different PCNs have been proposed only to ensure fair comparison and does not mean such products are different and do not fall under the product scope.

- xvi. All product types have common basic characteristics manufacturing process, plant & equipment, raw materials, production skill, market perception, functions & uses, pricing, etc. These products undergo modification based on different end-usage, which may render such types non-interchangeable inter-se. This does not prevent such types from being part of one product under consideration.
- xvii. In the anti-dumping investigation concerning imports of Certain Flat Rolled Products of Aluminium from China [F. No. 6/27/2020-DGTR], the Authority concluded that the exclusion of product types not interchangeable is not appropriate.
- xviii. No prejudice shall be caused to the exporters in case they have not exported LPB and SBS in the past and do not plan to do so in future.

B.3. Examination by the Authority

8. The other interested parties have requested clarification with regard to virgin multi-layer paperboard made of recycled pulp and combination or recycled and virgin raw material. The Authority clarifies that the product under consideration is made of 100% white / virgin wood pulp only.
9. With regard to the request for exclusion of SBS and LPB, it is noted that it is the settled practice of the Authority to exclude a product type from the scope of the product under consideration only where the product is not produced by the domestic industry and does not constitute a like article to the imported goods. In the present case, the domestic industry has manufactured and supplied SBS and LPB in the merchant market during the period of investigation. Further, there are no imports of SBS and LPB from the subject country during the period of investigation. In view of the above, the Authority finds no justification for excluding SBS and LPB from the scope of the product under consideration.
10. It has been submitted that LPB and SBS are separate products which have not been imported from subject country. It is noted that the product under consideration is Virgin Multi-Layer Paperboard which includes, inter alia, LPB and SBS. The other interested parties have not provided any evidence demonstrating that such products grades do not fall within the scope of the product under consideration. Both LPB and SBS are paperboards, with multiple layers and manufactured using virgin wood pulp. Further, the domestic industry has emphasized that the said products can be manufactured on the same plant and machinery. In any case, it is noted that there is no requirement for the product scope to be internally homogenous. The Panel in EC-Salmon (Norway) (DS337) concluded that the WTO Agreements do not require that the product scope be made of a single product category. Therefore, different types of the product may be covered under the product scope.

“7.53 In our view, even assuming Article 2.6 requires an assessment of likeness with respect to the product under consideration "as a whole" in determining like

*product, an issue which is not before us and which we do not address, this would not mean that an assessment of "likeness" between categories of goods comprising the product under consideration is required to delineate the scope of the product under consideration. **Merely to say that the product under consideration must be treated "as a whole" in addressing the question of like product does not entail the conclusion that the product under consideration must itself be an internally homogenous product.** We can see nothing in the paragraph from the Appellate Body Report in US – Softwood Lumber V, relied upon by Norway, which would indicate otherwise. Treating the product under consideration "as a whole" means that a single dumping margin is calculated for that product, however defined, but says nothing about the scope of that product."*

11. Thus, these products are a part of the product under consideration and have been segregated into PCNs on account of cost differences and to ensure fair comparison. Different types of the product under consideration constitute one article and it would not be appropriate to exclude product types if the domestic industry is manufacturing the like article to the product being imported into India.
12. The applicant proposed PCNs in their application, and the Authority adopted the same while initiating this investigation. With regard to submissions on PCN methodology, the domestic industry has requested PCNs based on different product types which includes Solid Bleached Sulphate Board, Two-side coated boards / artboards, folding box boards, cup stock and liquid packaging board. The PCNs proposed by the domestic industry were in line with the recently concluded anti-dumping investigation into imports of product under consideration from China PR and Chile. The Authority invited comments from all interested parties with regard to adopting this PCN for the subject investigation. The other interested parties have not made any comments with regard to PCNs proposed by the applicant and have not proposed any alternative PCN methodology.
13. In view of the above, the following PCNs have been finalised for the present investigation.

SN	Particulars	Code
1.	Solid Bleached Sulfate Board	SBS
2.	Two-side coated boards / Artboard	ATB
3.	Folding Box Board	FBB
4.	Cup Stock	CUS
5.	Liquid Packaging Board	LPB
6.	Others	OTH

14. The Authority notes that a letter was filed by PT Riau Andalan Paperboard International and Asia Pacific Paperboard Trading Pte Ltd on 14th May 2026 requesting exclusion of "two-sided artboard for printing application" in line with final findings

issued by the Authority in the anti-dumping investigation into imports of the subject goods from the China and Chile as well as the ongoing anti-subsidy investigation into imports of Multi-Layer Paperboards from Indonesia. In reply to the letter filed by the producer and exporter from Indonesia, the domestic industry filed a letter dated 29th May 2026 and has submitted that it does not oppose such exclusion and the Authority may consider product scope in line with the aforesaid investigations. Since the domestic industry has not submitted information showing like article to two-sided artboard for printing application during the present investigation period and has not opposed such exclusion, the Authority exclude the same from the scope of the present investigation.

15. The Authority further notes that while none of the interested parties have requested exclusion of four or more layered paperboards, either coated, uncoated or laminated with plastic material, aluminium, or other metal for liquid packaging material in the present investigation, the domestic industry has not submitted information showing like article during the present investigation period as well. Accordingly, the Authority exclude the said products in line with the final findings issued in the anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR and Chile.
16. In light of the above, the Authority considers the following as the scope of the product under consideration for the purpose of the present anti-dumping investigation.

“The product under consideration is multi-layer board made only of white / virgin wood pulp, whether coated or uncoated, and is also known as Virgin Multi-Layer Paperboard. The product under consideration is made up of multiple layers of paper bonded together. The product under consideration is made of pulp from fibre of trees. The product under consideration comes in various grades. The product under consideration includes Folding Box Board (FBB), Solid Bleached Sulfate Board (SBS), Cup Stock Paper or Board and Liquid Packaging Board, all in the range of 140 to 450 GSM. The scope of product under consideration excludes the following.

- i. Paperboards manufactured using recycled/brown pulp or fibre or a combination of recycled pulp and virgin pulp, regardless of the proportion.*
- ii. Coated/uncoated cigarette boards*
- iii. Two side coated artboard when imported for printing purposes*
- iv. Four or more layered paperboard, either coated, uncoated or laminated with plastic material, aluminium, or other metal for liquid packaging material.”*

17. The product under consideration is classified under Chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975 under the HS Codes 4805 9100, 4805 9200, 4805 9300, 4810 9200 and 4810 9900. Further, the domestic industry has stated that the product is being imported under 32 HS Codes including heading 4802, 4805, 4810, 4811 and 4819. The Authority notes that the product under consideration is majorly being imported under 4805 and 4810. Accordingly, the same have been considered for the purpose of the present

investigation. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

18. With respect to the arguments submitted by various interested parties regarding HS Codes considered for the present investigation, it is noted that the subject goods have been imported under multiple HS Codes. The imposition under any notification imposing anti-dumping duty is very specific and requires that both the criteria of description and Tariff classification must be met before anti-dumping duty can be levied on a product. Since duties are imposed only on the product under consideration when imported under the HS Codes specified, there is no need to remove any HS Codes. It is further noted that non-consideration of all HS Codes under which the product under consideration has been imported would lead to distorted examination of total imports of subject goods into India as well as demand for the product under consideration in India.
19. The interested parties have submitted that since the Authority has clarified that the product with recycled pulp is not included in the scope of the product under consideration, only relevant HS Codes should be considered. The Authority notes that the product scope has been clarified with regard to recycled paper. Further, the product under consideration is being imported under various HS Codes. For the purpose of the present disclosure statement, the Authority has only considered the imports of the product under consideration, as defined hereinabove, when imported under the various HS Codes. Imports of recycled paper board, and other products excluded from the product scope, have already been excluded from the import volumes considered. However, the same has not been found to change the HS Codes, under which the product under consideration has been imported.
20. The Authority notes that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The product produced by the domestic industry and that imported from the subject country is being used interchangeably by the consumers. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1. Views of other interested parties

21. The other interested parties have not made any submissions with regard to the domestic industry and standing.

C.2. Views of the domestic industry

22. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:
- i. Apart from the applicant domestic producers, there is only one other domestic producer of like article in India, namely, West Coast Paper Mills Limited. The said producer has supported the present investigation.
 - ii. The applicant domestic producers have not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation and are not related to any producer or exporter of the subject goods from the subject country or any importer in India.
 - iii. The applicant domestic producers account for major proportion of total domestic production in India and constitute domestic industry in the present investigation.

C.3. Examination by the Authority

23. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

24. The Authority notes that the application for initiation of the present investigation was filed by Indian Papers Manufacturers Association (“IPMA”) on behalf of the domestic industry. The following members of the applicant association have provided detailed information for the purpose of the present investigation.

1. Aditya Birla Real Estate Limited (formerly Century Textiles and Industries Limited)
2. Emami Paper Mills Limited
3. JK Paper Limited
4. ITC Limited
5. Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited (TNPL)

25. The Authority notes that there is only one other domestic producer of the subject goods in India, namely, West Coast Paper Mills Limited. West Coast Paper Mills Limited has filed a letter supporting the present investigation.

26. The applicant domestic producers have submitted that they have not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation and are not related to any producer of the subject goods in the subject country or any importer of the subject goods in India. The same has not been refuted by the other interested parties. The Authority has examined the DG Systems data and found the submission of the domestic industry to be consistent with the information available in the import data.
27. The Authority notes that the applicant domestic producers account for 97% of the total domestic production in India and along with supporter, they account for total domestic production in India. In view of the foregoing, the Authority notes that the applicant domestic producers account for major proportion of domestic consumption in India and thus, concludes that the applicant domestic producers constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D. CONFIDENTIALITY

D.1. Views of other interested parties

28. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:
- i. The applicant has claimed excessive confidentiality and not provided data with regard to calculation of constructed normal value. The initiation lacks adequate justification since the Authority has not checked the adequacy and accuracy of the evidence provided with regard to determination of normal value for Indonesia.

D.2. Views of the domestic industry

29. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
- i. The importers have claimed excessive confidentiality as they have failed to disclose principal shareholders as well as related entities.
 - ii. The expenses incurred and claimed for adjustments for fair comparison should be disclosed as such expenses are recorded in the findings of the Authority.
 - iii. The other interested parties have failed to disclose the details of type of post invoicing discounts given by them in the Indian market.
 - iv. Names of major raw material consumed have also been claimed confidential.
 - v. Contrary to the submissions by the other interested parties, the normal value has been constructed based on the cost of production of the domestic industry which includes business proprietary information and cannot be disclosed. The normal value has been provided in range as per the requirements of Trade Notice 10/2018.

D.3. Examination by Authority

30. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The arguments of the parties with regard to confidentiality have also been examined hereinbelow.
31. With regard to the submissions that the other interested parties have failed to disclose certain information in their responses, the Authority notes that the interested parties have justified the confidentiality claimed by them. Further, no prejudice has been caused to the interest of the domestic industry due to non-disclosure of such information.
32. As regard to the submissions that the domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to normal value determined, the Authority notes that normal value has been determined based on the cost of production of the domestic industry which is business proprietary information. The domestic industry has submitted that disclosure of such information will adversely impact of the domestic industry in the domestic market. The Authority has accepted confidentiality claims in this regard. The normal value has been disclosed to other interested parties in range. However, for the purpose of its determination, the Authority has, in any case, determined normal value based on the information furnished by the foreign producers.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1. Views of other interested parties

33. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
- i. The MIP imposed on the imports of the product is significantly higher than the import price from Indonesia and effectively neutralises any price undercutting or price suppression. MIP imposed fulfils the objective of anti-dumping duty, that is, to offset the injurious effect of dumping. The Authority had previously recommended anti-dumping duty in the form of reference price in the case of Uncoated Copier Paper from Indonesia, Thailand, Singapore.
 - ii. Imposition of anti-dumping duty in addition to MIP would lead to double protection to the domestic industry and will penalize the exporters and be counterproductive to the interests of downstream industries and consumers.

- iii. The domestic industry should clarify and put on record all facts relating to their position on extension of MIP and provide a copy of all communications with DGFT to the Authority and other interested parties in the present investigation.
- iv. The MIP has been extended upto 30th September 2026 which shows that MIP is not a short-term measure. Extension of MIP shows that there is no need for recommendation for imposition of anti-dumping duty. Any anti-dumping duty would overlap with the MIP and would result in excessive protection to the domestic industry.

E.2. Views of the domestic industry

34. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.
 - i. As opposed to the submissions by the other interested parties, MIP does not address the full injury by the domestic industry as it is only a temporary measure. MIP does not neutralize dumping and only sets a floor price.
 - ii. While the other interested parties have submitted that MIP neutralizes the price undercutting, the same is only due to the fact that the landed price is below the cost of sales of the domestic industry and the domestic industry has itself sold below its costs.
 - iii. Contrary to the submissions of the other interested parties, reference price duties may not be appropriate as the price of the subject goods depends upon the price of pulp. The price of pulp are fluctuating in nature.
 - iv. The applicants have requested the admin ministry to maintain measures in form of MIP only till imposition of anti-dumping duty. Thus, there will be no double protection of the domestic industry.
 - v. The DGTR and other parties are well aware of MIP prior to imposition as DGFT conducts a stakeholder meeting with all stakeholders.

E.3. Examination by the Authority

35. With regard to the submissions that since there is MIP in force, there is no need for recommendation of anti-dumping duty, the Authority notes that the purpose of the present investigation is to examine whether the subject goods from the subject country are being dumped in India, whether such dumping is causing material injury to the domestic industry and the amount of anti-dumping duty which will be sufficient to address the dumping and injury to the domestic industry. While anti-dumping duty is imposed on producers and countries and the quantum of the same varies with producer and the countries, a uniform MIP gets imposed on all imports. MIP is imposed by the Government of India under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and Foreign Trade Policy under which the Government of India can regulate, prohibit or restrict imports of certain products in India. As compared to this, anti-dumping duty is a trade remedial measure meant to remedy the injury to the industry due to unfair trade practice and is imposed for a period as per the Anti-Dumping Rules.

36. As regard the submission that the MIP neutralizes price undercutting, the Authority notes that the MIP in force is below the cost of sales of the domestic industry. Neutralization of price undercutting does not mean that the dumping has ceased in the Indian market, and the domestic industry is unlikely to suffer injury. It is seen that the injury margin is significant even if MIP is considered as the import price, thus establishing that imports at MIP are likely to cause injury to the domestic industry. In any case, MIP is temporary in nature and not meant to address injury caused to the applicants due to dumping of the product under consideration in India.
37. The other interested parties have submitted that the anti-dumping duty should be levied in form of reference price. The Authority notes that the quantum and form of duty shall be decided once the Authority decides to recommend imposition of anti-dumping duty, and after taking into consideration the relevant facts and circumstances of the case and the submissions by various interested parties.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1. Views of other interested parties

38. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
- i. Normal value and export price estimated by the domestic industry are contrary to the Anti-dumping Agreement. Dumping margin and injury margin should be assessed based on PCN methodology and as per questionnaire response filed by the participating producers and exporters.
 - ii. Since PT Riau Andalan Paperboard International and Asia Pacific Paperboard Trading Pte Ltd. have filed a complete and accurate response, individual dumping margin and injury margin may be determined for the said producers based on the response filed.
 - iii. APP group is not engaged in dumping of the product under consideration into India.
 - iv. The claims of the domestic industry that Indonesian producers are owned and controlled by Chinese producers and receive countervailable subsidies are baseless and without any evidence.
 - v. As opposed to the submissions of the domestic industry, APP group is not owned by Chinese producers and is a well-recognised Indonesia business group with headquarters in Jakarta.

F.2. Views of the domestic industry

39. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
- i. The applicant did not have access to information regarding the domestic selling price prevailing in Indonesia. Information with regard to cost of production in the

- subject country was not available to the domestic industry. Accordingly, normal value has been determined on alternate basis.
- ii. The other interested parties have made unsubstantiated claims with regard to the normal value and export price estimated by the domestic industry. The domestic industry has provided information with regard to normal value and export price as reasonably available with them at the stage of initiation.
 - iii. The Authority may determine normal value and export price based on the responses filed after verifying the completeness, accuracy and reliability of the responses.
 - iv. The dumping margin is positive and significant.

F.3. Examination by the Authority

40. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

“i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

41. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:

1. PT Riau Andalan Paperboard International, Indonesia

- i. Asia Pacific Paperboard Trading Pte. Ltd., Singapore

2. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Indonesia

3. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills, Indonesia

- i. Gilstead Pacific (HK) Limited, Hong Kong
- ii. Golden Profit Trading Pte. Ltd., Singapore

42. With regard to the submission that the normal value and export price determined by the domestic industry is not as per the provisions of the Anti-Dumping Agreement, the Authority notes that the normal value and export price determined by the domestic industry was considered sufficient and accurate for the purpose of initiation of the present investigation. Further, since the producers have now participated in the present investigation, the Authority has verified the claims made by such producers and determined individual normal value and export price for producers which have filed accurate and complete responses.
43. As regard the submissions that the Indonesian producers are owned and controlled by Chinese producers and receiving subsidies from the Governments of Indonesia and China, the domestic industry has not shown the same to be relevant to the present anti-dumping investigation.

F.3.1.Determination of normal value**Normal Value for PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills (Pindo Deli) and PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Indah Kiat):**

44. Pindo Deli and Indah Kiat are two producers of subject goods in Indonesia. Majority of ownership in both the entities is owned by PT APP Purinusa Ekapersada. For determination of dumping and injury margin, the response of both entities has been examined collectively.
45. During the period of investigation (POI), Pindo Deli only sold ATB in the Indonesian market and exports to India. In the domestic market, ATB was sold through a related trader, PT Cakrawala Mega Indah (CMI), on an invoice-to-invoice basis. However, since the Authority excluded ATB used for printing purposes from the scope of the product under consideration (PUC), Pindo Deli's domestic and export sales of ATB are not included in the dumping margin calculation.
46. During the POI, Indah Kiat sold *** MT of PUC in the Indonesian market through the same related trader, PT Cakrawala Mega Indah (CMI), on an invoice-to-invoice. The product control numbers (PCNs) sold domestically included FBB, CUS, and OTH. These domestic sales were in sufficient volume and met the sufficiency test.

47. For calculating the Normal Value, the Authority assessed profitability of Indah Kiat on a PCN basis. For PCNs where more than 80% of domestic sales were profitable, the Normal Value was determined based on total domestic sales. For PCNs where more than 20% of sales were loss-making, the Normal Value was calculated using only the profitable sales. In case the profitable domestic sales were not sufficient, the Normal Value has been computed based on cost of production, SG&A and reasonable profit as verified during the desk verification. The Normal Value so determined on weighted average basis is mentioned in the dumping margin table below:

Normal value for PT Riau Andalan Paperboard International (RAPI)& Asia Pacific Paperboard Trading Pte. Ltd. (APBT):

48. RAPI is a producer of subject goods in Indonesia. During the POI, RAPI has exported the subject goods to unrelated customers in India through its related trader APBT. During the POI, RAPI has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market of Indonesia.
49. RAPI and APBT have provided PCN wise relevant information in the prescribed questionnaire formats. The Authority notes that during the POI, RAPI, has sold ***MT of subject goods directly to unrelated customers in the domestic market. It is noted that domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market.
50. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test. The Authority notes that during the POI, average selling price per MT of the subject goods sold in the domestic market is below per unit cost of production plus administrative, selling and general costs. Further, none of the domestic sales transactions during the POI are profit making. Accordingly, the Authority notes that domestic sales are not in the ordinary course of trade and normal value cannot be determined based on domestic selling price in Indonesia.
51. In view of the above, normal value has been determined based on the cost of production plus administrative, selling and general costs and reasonable profits in terms of Section 9A(1)(c)(ii)(b) of the Act.
52. In addition to the above, RAPI has also claimed adjustment on account of start-up costs. The paragraph 3 of Annexure I of AD rules, provides:

(ii) unless already reflected in allocation of costs referred to in clause (1) and sub-clause (i) above, the designated authority, will also make appropriate adjustments for those non recurring items of cost which benefits further and/or current production, or

for circumstances in which costs during the period of investigation are affected by startup operation.”

53. It is noted that the aforesaid neither mentions “start-up costs” nor does it give any guidance on the circumstances under which such adjustments are to be allowed. There is also no methodology prescribed for making such adjustments.
54. Drawing guidance from the treatment of start-up costs under U.S. law, the Authority notes that the concept of start-up costs is generally associated with technical and operational inefficiencies arising during the initial phase of commercial production and, therefore, requires a clear identification of both the commencement and cessation of the start-up period, as well as a demonstrable nexus between the claimed costs and such technical difficulties.
55. In the present case, RAPI commenced commercial production of the subject goods in ***, immediately prior to the commencement of the POI. However, RAPI has neither identified the specific duration of the alleged start-up period nor furnished verifiable evidence of the actual costs incurred on start-up during such phase. Instead, the claimed adjustment has been derived on the basis of assumed higher capacity utilisation and a consequential reduction in the allocation of fixed costs.
56. The Authority is of the view that any adjustment to the actual cost of production must necessarily be substantiated on the basis of verifiable actual data and supporting evidence. It is observed that, based on the information placed on record by RAPI, the claim does not satisfy the requisite criteria and tests for treating such expenses as “start-up” costs. Accordingly, the Authority has decided not to allow any adjustment on account of alleged start-up costs.


Normal value for all other producers in Indonesia

57. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Indonesia has been considered based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.


F.3.2.Determination of export price

Export price for PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (Pindo Deli) and PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Indah Kiat):

58. Pindo Deli has filed data regarding exports of PUC to India. The trading entities involved in invoicing of goods to India namely Gilstead Pacific (HK) Limited (Gilstead) and Golden Profit Trading Pte Ltd (Golden Profit) have also filed the questionnaire response. However, as explained above, Pindo Deli has only exported ATB to India which has been excluded from the scope of the present investigation. The export data of ATB has not been accounted for determination of export price and dumping margin.



59. Indah Kiat has also exported the subject goods directly constituting *** MT of PCN CUS and *** MT of FBB. It is noted that they have also made exports through an unrelated trader, namely Life in Green Products Inc. (***) MT of PCN CUS), who has not filed the questionnaire response. All goods exported to India were imported by unrelated importer and there is no related Indian importer engaged in resale of subject goods.




60. For computation of dumping margin, the Authority has computed the ex-factory export price on PCN level based on data verified filed in the questionnaire response. For working out weighted average net export price the Authority has considered the actual export price for chain comprising cooperating producer and exporter direct exports to India which has duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information

for the said connected trader of Indah Kiat who had not filed the information in the form and manner prescribed. Adjustments have been allowed, namely ocean freight, insurance, inland transportation, credit cost, commissions, bank charges, as applicable. Net export price so arrived is mentioned in the dumping margin table.

Export price for PT Riau Andalan Paperboard International (RAPI):

61. It is noted from the response that during the POI, RAPI has exported *** MT of subject goods to unrelated customers in India through its related trader APBT.



62. The producer/exporters have claimed adjustments on account of ocean freight, discount & rebates, inland transportation, port related expenses, insurance, commission, credit cost and bank charges and the same have been allowed by the Authority after due verification. The Authority notes that APBT has incurred losses in exports of subject goods to India during the POI. Therefore, the Authority has made relevant adjustment on account of losses incurred by APBT to arrive at net ex-factory export price. Accordingly, the Authority has determined the weighted average PCN wise ex-factory export price and the same is given in the dumping margin table.

Export price for other producers/exporters in Indonesia

63. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Indonesia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

F.4. Dumping margin

64. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

Dumping Margin Table

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	%	Range (%)
1	PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	***	***	***	***	Negative
2	PT Riau Andalan Paperboard International	***	***	***	***	65-75
3	Other producers	***	***	***	***	105-115

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Views of other interested parties

65. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. Increase in imports from Indonesia is statistically misleading as there were practically no imports from Indonesia in the previous years. The market share of merely 4.24% during the period of investigation is negligible and cannot be considered a cause of material injury to the domestic industry. Domestic industry and imports from other countries control the majority of the market share and the prices in the market.
- ii. Increase in imports is a response to the substantial increase in demand of the product under consideration in India.
- iii. The imports from Indonesia have remained negligible in relation to total demand and production in India.
- iv. The installed capacity of domestic industry has been utilised to an optimum level, which is in tandem with its production and sales. Hence, there is no volume injury.
- v. Growth in domestic sales has improved whereas the export sales have declined, hence, there is no adverse impact of the subject imports on the Indian industry. Decline in exports is due to intrinsic factors and the same cannot be attributed to subject imports.
- vi. Salary and wages have increased abnormally, as compared to number of employees. Productivity of the domestic industry has also increased.

- vii. Level of inventory has increased marginally from 10 days to 15 days. This is due to decline in export sales and higher closing inventory of 2022-23.
- viii. While installed capacity of the domestic industry has increased marginally, the depreciation and interest cost has increased significantly.
- ix. Decline in profitability is a direct consequence of increase in capacity and capital employed, which has led to higher fixed cost in form of interest and depreciation.
- x. The primary cause of injury to the domestic industry is dumped imports from China and Chile, as determined by the Authority in its final findings. The volume of imports from Indonesia is quite low. In the absence of imposition of duty on imports from China and Chile, the causal link remains unbroken.
- xi. The imports from China are more than double the imports from Indonesia and at CIF prices below imports from Indonesia.
- xii. Levying duties on Indonesia will be ineffective in remedying the injury to the domestic industry as it will lead to shift in supply, as importers will procure subject goods from China and Chile, eliminating imports from Indonesia. This will be against the principles of levying of anti-dumping duty on non-discriminatory basis.
- xiii. The Authority is required to segregate injury caused by imports from other countries and conduct non-attribution analysis. The Anti-Dumping Agreement also states that injury due to restrictive practices and competition between the foreign and domestic producer is also a known factor for injury and a non-attribution analysis is required for the same. Injury due to imports from China and Chile should not be attributed to imports from Indonesia.
- xiv. There is no correlation between the imports from Indonesia and injury to the domestic industry. The volume of imports declined in 2023-24 as compared to 2022-23, however, the profitability of the domestic industry declined significantly during the said period. Similarly, import price increased in 2023-24 from 2021-22, however, the profitability of the domestic industry witnessed a significant decline.
- xv. Net fixed assets and capital employed claimed by IPMA are disproportionate to the installed capacity, due to which the non-injurious price is inflated. The Authority should scrutinise the non-injurious price in terms of Annexure III.

G.2. Views of the domestic industry

66. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
 - i. While there were practically no imports of subject goods from Indonesia, there has been a sharp increase in volume of imports from the subject country in the period of investigation.
 - ii. The subject imports have increased in relation to production and consumption in India.
 - iii. The subject imports have increased at a rate more than the increase in demand in India.

- iv. The volume of imports from the subject country has increased due to low prices being offered by the Indonesian exporters.
- v. The landed price of subject imports has declined significantly in India and is below the cost of sales of the domestic industry.
- vi. The subject imports have significantly undercut the prices of the domestic industry due to which the Indonesian exporters have been able to capture the Indian market.
- vii. While the domestic industry faced price pressure from imports from China and Chile till 2023-24, the imports from Indonesia have put price pressure on the domestic industry during the period of investigation.
- viii. While the cost of sales of the domestic industry remained stable in the period of investigation as compared to the previous year, the selling price of the domestic industry has declined below the cost of sales due to decline in landed price from the subject country.
- ix. As opposed to the submissions by the other interested parties, there can be no correlation between subject imports in the previous years and the performance of the domestic industry as there were practically no imports from the subject country till 2022-23.
- x. The subject imports are below the variable cost of the domestic industry.
- xi. The landed price of subject imports is even below the landed price of imports from China.
- xii. Despite increase in demand in India, the market share of the domestic industry has declined.
- xiii. The domestic industry has been able to increase its domestic sales only by compromising on profitability.
- xiv. Contrary to the submissions by the other interested parties, the domestic industry primarily caters to domestic market. Further, the domestic industry is fetching better prices and prices above its cost of sales in the export market.
- xv. The inventories of the domestic industry have increased, even though the domestic industry has sold the subject goods at losses.
- xvi. As opposed to the submissions by the other interested parties, the salaries and wages have increased due to reporting of salary of contractual labour which have not been reported as part of number of employees. The domestic industry has not claimed any injury on the said parameter.
- xvii. The profitability of the domestic industry has declined very steeply over the injury period.
- xviii. The domestic industry has incurred financial losses in the period of investigation. While the domestic industry faced losses due to dumping from China and Chile in the previous year, the losses have increased in the period of investigation due to dumping from Indonesia.
- xix. The domestic industry has incurred losses even before accounting for interest and depreciation.
- xx. The domestic industry has incurred cash losses and recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.

- xxi. The depreciation and interest cost of the domestic industry has increased due to additions made for captive input. The per unit depreciation and interest cost of the domestic industry has declined in the period of investigation as compared to the previous year.
- xxii. Even if increase in depreciation and interest cost is adjusted, the domestic industry has incurred losses in the period of investigation.
- xxiii. The injury to the domestic industry is due to dumping of imports from the subject country and no other known factor has caused material injury to the domestic industry.
- xxiv. Contrary to the submissions by the other interested parties, the injury to the domestic industry is not only from dumping of product under consideration from China which is evident from the fact that the landed price of subject imports is lower than landed price of imports from China. Thus, imports from Indonesia are causing price pressure on the prices of the domestic industry.
- xxv. The domestic industry is forced to compete with the lowest prices being offered in the Indian market as the decision of the consumer is based on the cheapest source available.
- xxvi. Contrary to the submissions by the other interested parties, the imports from Chile were de-minimis in the period of investigation and thus, cannot cause injury to the domestic industry.
- xxvii. While dumping continued from China, the producers from Indonesia have also engaged in extensive dumping. Thus, the injury to the domestic industry is due to imports from Indonesia as well. The requirement under the law of “a causal link” between dumping of imports from the subject country and injury to the domestic industry.
- xxviii. Contrary to the submissions of the other interested parties, while imports from Indonesia are lower in volume, such imports are also priced lower than the price of imports from China and causing price injury to the domestic industry.
- xxix. The Indonesian producers are actually owned and controlled by Chinese entities. The submissions that the imports will shift from Indonesia to China in case of imposition of anti-dumping duty only on imports from Indonesia shows mala fide intention of engaging in unfair trade practice by such entities.
- xxx. Non-imposition of anti-dumping duty on one country does not automatically eliminate dumping and injury from the subject country.
- xxxi. As opposed to the submissions by other interested parties, the Indian Government is only required to collect duty on non-discriminatory basis from all sources which are subject to imposition of duty. Further, the provisions regarding non-discrimination do not relate to countries, but individual exporters subject to duty.
- xxxii. Contrary to the submissions by the other interested parties, the industry may be suffering injury due to multiple factors. The Authority is required to only conduct a non-attribution analysis in order to ensure the injury caused by other factors is not attributed to dumping.

G.3. Examination by the Authority

67. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

G.3.1. Volume effect of the dumped importsa) Assessment of demand / apparent consumption

68. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Sales of domestic industry	MT	9,01,500	10,38,690	11,66,108	11,68,670
Trend	Indexed	100	115	129	130
Sales of other producer	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	68	70
Subject imports	MT	108	1,737	463	61,567
Other imports	MT	57,070	1,32,916	1,54,718	***
Un-dumped imports	MT	-	-	-	***
Total Imports	MT	57,178	1,34,652	1,55,181	2,93,632
Total demand	MT	***	***	***	***
Total demand	Indexed	100	121	134	148

69. The Authority notes that the demand for the subject goods in India has increased year on year over the injury period.

b) Import Volumes from the subject country

70. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports, either in absolute terms or relative to

production or consumption in India. The import volumes from subject country during the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	MT	108	1,737	463	61,567
Other imports	MT	57,070	1,32,916	1,54,718	***
Un-dumped imports	MT	-	-	-	***
Total imports	MT	57,178	1,34,652	1,55,181	2,93,632
Production by domestic industry	MT	10,98,950	12,32,827	12,82,695	13,03,686
Production by other producer	MT	***	***	***	***
	Index	100	85	69	70
Total Production	MT	***	***	***	***
	Index	100	111	115	117
Imports in relation to					
Domestic production	%	***	***	***	***
	Index	100	1400	400	46000
Consumption	%	***	***	***	***
	Index	100	1400	300	41100
Total Imports	%	0.19%	1.29%	0.30%	20.97%

71. The Authority notes that:
- The import volumes have increased from a level of only 108 MT in 2021-22, to 61,567 MT in the period of investigation.
 - The imports in relation to production and consumption have also increased in POI over 2021-22.
 - While there were negligible imports from the subject country till 2023-24, the imports have increased significantly in the period of investigation. The share of dumped imports from subject country in total imports has also increased.
72. The Authority notes that while the demand for the subject goods has increased by approximately 48% over the injury period, the dumped imports from subject country have increased by around 570 times over the injury period. Thus, the dumped imports from subject country have increased at a rate much more than the rate of increase in demand in India.

G.3.2. Price effect of the dumped imports

73. With regard to the price effect of dumped imports from the subject country, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic

industry on account of the imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a) Price undercutting

74. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject country. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade for the same PCN. The weighted average price undercutting is as below.

Particulars	Unit	Subject country
Net sales realization	₹/MT	67,244
Landed price	₹/MT	54,675
Price undercutting	₹/MT	12,569
Price undercutting	%	23%

75. The Authority notes that the dumped imports from subject country are priced below the selling price of the domestic industry. The price undercutting is positive and significant.
76. As regard the submissions that the majority of imports are from other countries which control the prices in the market, the domestic industry has submitted that it has to compete with the lowest priced imports into India. The decision of the customers to buy the product under consideration is based on the lowest prices offered by the sellers in the Indian market. The Authority notes that the landed price of Indonesia is broadly lower than the landed price of subject goods from other major countries. Accordingly, it cannot be said that the prices prevailing in India are controlled by other countries.

b) Price suppression/depression

77. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	121	121

Selling price	₹/MT	68,473	81,664	68,748	67,244
Trend	Indexed	100	119	100	98
Landed price	₹/MT	87,961	87,048	63,311	54,675
Trend	Indexed	100	99	72	62

78. The Authority notes that while the cost of sales of the domestic industry has increased by 21% during the injury period, the selling price of the domestic industry has declined by 2%. The landed value during the same period has declined by 38%. Thus, the domestic prices have been suppressed and depressed by the dumped imports into India.
79. With regard to the submissions that the prices of the domestic industry have not moved in accordance with the landed price of the subject imports in the past, the Authority notes that it is important to examine the price of imports in light of the volume of such imports. The imports from the subject country in the past was quite low.

G.3.3. Economic parameters of the domestic industry

80. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

81. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity (PUC+NPUC)	MT	15,15,863	16,90,000	16,90,000	16,90,000
Production (PUC+NPUC)	MT	15,22,944	15,91,201	16,68,701	16,94,620
Production of PUC	MT	10,98,950	12,32,827	12,82,695	13,03,686

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Capacity utilization	%	100%	94%	99%	100%
Domestic Sales	MT	9,01,500	10,38,690	11,66,108	11,68,670
Export sales	MT	1,48,697	1,13,035	77,894	94,701
Captive consumption of PUC	MT	47,523	55,462	45,291	43,716

82. The Authority notes that:
- The installed capacity of the domestic industry has remained the same except base year.
 - The production as well as the domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.
 - The domestic industry is operating at optimum capacity utilization during the period of investigation.
83. The domestic industry has submitted that due to increase in low-priced imports, the domestic industry has been forced to compromise on profitability in order to maintain its production and sales.
84. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to decline in export sales, the Authority notes that the export sales of the domestic industry accounts for only 5.6% of total production in POI. Thus, the main focus of the domestic industry is the domestic market and any decline in export sales is not a cause of injury to the domestic industry.

b) Market share

85. Market share of the imports and domestic industry is given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	89.45%	85.51%	86.08%	78.10%
Sales of other producer	%	4.88%	3.40%	2.47%	2.29%
Subject imports	%	0.01%	0.14%	0.03%	4.11%
Other imports	%	5.66%	10.94%	11.42%	***
Un-dumped imports	%	-	-	-	***

86. The Authority notes that the market share of the domestic industry and Indian industry as a whole declined over the injury period. The market share of dumped imports from subject country has increased in the period of investigation.

c) Inventories

87. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
	Index	100	104	188	167
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
	Index	100	181	160	149
Average Inventory	MT	31,007	44,438	53,959	48,960

88. The Authority notes that the average inventories of the domestic industry have increased in POI over 2021-22. Even though the domestic industry has compromised on profitability and sold the subject goods at losses, the domestic industry has suffered due to accumulation of inventories. However, compared to the previous year, the inventories of the domestic industry have witnessed a decline.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

89. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	121	121
Selling price	₹/MT	68,473	81,664	68,748	67,244
Trend	Indexed	100	119	100	98
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	-2	-18
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	-3	-24
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	23	6
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	12	-2

90. The Authority notes that:

- i. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. While the domestic industry was earning profit still 2022-23, it has incurred financial losses since 2023-24. The domestic industry has submitted that while it incurred financial losses in 2023-24 due to dumping from China and

Chile, the losses increased in the period of investigation due to extensive dumping from Indonesia.

- ii. The cash profits have followed the same trend and have declined significantly in the period of investigation over 2021-22.
 - iii. The return on capital employed of the domestic industry has also declined significantly over the injury period. During the period of investigation, the domestic industry has recorded a negative return on capital employed.
91. The other interested parties have submitted that the profitability of the domestic industry has declined due to increase in interest and depreciation cost of the domestic industry. The Authority notes that the per unit interest and depreciation cost of the domestic industry on consolidated basis has declined in the period of investigation as compared to the previous year.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Interest	₹/MT	***	***	***	***
	Index	100	212	203	181
Depreciation	₹/MT	***	***	***	***
	Index	100	145	128	130
Interest and depreciation cost	₹/MT	***	***	***	***
	Index	100	167	152	147

92. With regard to the submissions that the interest cost and depreciation of the domestic industry have increased much more than increase in capacities, the Authority notes the increase in interest cost and depreciation is due to investments in plant for captive inputs. Even if interest cost and depreciation are not accounted for, the profit of the domestic industry before depreciation and interest cost has declined significantly.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Interest Cost	₹/MT	***	***	***	***
Interest Cost	Indexed	100	212	203	181
Depreciation	₹/MT	***	***	***	***
Depreciation	Indexed	100	146	128	130
Total	₹/MT	***	***	***	***
Total	Indexed	100	167	152	147
PBT	₹/MT	***	***	***	***
PBT	Indexed	100	93	-2	-18

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
PBDIT	₹/MT	***	***	***	***
PBDIT	Indexed	100	108	30	16

e) **Employment, productivity and wages**

93. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of employees	Nos.	3,970	4,147	4,160	4,277
Productivity per day	MT/Day	3,011	3,378	3,514	3,572
Productivity per employee	MT/Nos	277	297	308	305
Wages	₹ Lacs	20,986	33,317	36,767	39,453

94. The Authority notes that the number of employees of the domestic industry have increased over the injury period with increase in capacities. The productivity as well as salary and wages of the domestic industry have also increased.

f) **Growth**

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	%	-	11%	0%	0%
Production	%	-	12%	4%	2%
Domestic sales	%	-	15%	12%	0.2%
Profit / (loss) ₹/MT	%	-	-7%	-102%	-713%
Cash profits	%	-	16%	-80%	-76%
Return on capital employed	%	-	-17%	-85%	-120%

95. The Authority notes that the capacity of the domestic industry has increased in 2022-23. The capacity of the domestic industry remained stable in the period of investigation. The volume parameters of the domestic industry have shown positive growth year on year in the injury period. The domestic industry has submitted that the volume parameters have improved as the domestic industry has compromised on profitability. As a result, the profitability parameters of the domestic industry have shown negative throughout the injury period.

g) Ability to raise capital investments

96. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined significantly in the period of investigation. The domestic industry has incurred financial losses in the period of investigation and has recorded a negative return on capital employed. In such a case, the ability of the domestic industry to raise further capital investment for the product has been adversely impacted.

h) Factors affecting prices

97. Since the landed price of dumped imports from subject country is below the selling price as well as cost of sales of the domestic industry, the same has created a strain on the prices of the domestic industry. Due to this, the domestic industry has not been able to price its product commensurate to change in its cost of sales. By contrast, the imports from other countries are priced relatively higher than the price of subject dumped imports. The domestic industry has been forced to compromise on its profitability in order to compete with the low-priced imports from the subject country. Therefore, the imports from the subject country are impacting the prices of the domestic industry.

i) The magnitude of dumping

98. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject country. The dumping margin is positive and significant.

j) Magnitude of Injury Margin

99. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

100. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from

the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

101. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

Injury Margin Table

SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
1	PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	***	***	***	***	Negative
2	PT Riau Andalan Paperboard International	***	***	***	***	35-45
3	Other producers	***	***	***	***	70-80

G.3.4. Non-attribution analysis and casual link

102. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a. Volume and value of imports from third countries

103. It is noted that there apart from the subject country, imports have been made in substantial quantities from China, Finland and Sweden. However, the price of imports from Finland and Sweden is much more than the price of imports from the subject country and the selling price and non-injurious price of the domestic industry. Therefore, the injury is not attributable to imports from the said countries.
104. The Authority notes that the subject goods from China PR were being dumped into India in 2023-24 and the domestic industry has stated that the dumping has continued in India post the investigation period for the anti-dumping investigation into imports of the subject goods from China and Chile. However, during the present period of investigation, the landed price of dumped imports from Indonesia is less than the landed price of imports from China. Accordingly, the Indonesian dumped imports have created more price pressure on the prices of the domestic industry as compared to Chinese imports during the period of investigation.

Particulars	Unit	POI
Landed price from Indonesia	₹/MT	54,675
Landed price from China	₹/MT	58,822
Difference	₹/MT	4,147

105. The other interested parties have submitted that the major injury to the domestic industry is due to dumping of imports from China PR and Chile. The Authority notes that the volume of imports from Chile is de-minimis in the period of investigation and hence, such imports cannot be considered to be a cause of injury to the domestic industry. With regard to imports of subject goods from China PR, the Authority notes that while there may also be injury to the domestic industry due to imports from China PR, the Indonesian producers have dumped the product under consideration in India. The landed price of subject dumped imports is below the landed price of imports from China PR and thus, there is a clear injury to the domestic industry due to imports from Indonesia.
106. In this regard, the Authority notes that the requirement under the law is existence of “a causal link” between dumping and injury to the domestic industry. Even if imports from Indonesia is one of the factors causing injury to the domestic industry, the Authority may recommend imposition of anti-dumping duty.

“RULE 11. Determination of injury.

*(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and **a causal link** between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.”*

107. The Authority notes that the Panel in United States – Anti-dumping measures on certain Hot-Rolled Steel Products from Japan (DS 184) held that the Agreement uses the plural “injuries” which means that there can be more than one factors causing injury to the domestic industry. However, there should be “a causal link” between dumping from the subject country and injury to the domestic industry.

*7.251 Article 3.5 thus seems to warn against quick and overly simplistic conclusions by requiring the investigating authorities to consider and examine other known factors that are at the same time injuring the domestic industry before determining that dumped imports are causing material injury within the meaning of Articles 3.2 and 3.4. It does not suffice to merely consider these other factors. The authorities must also make sure that imports are not regarded as causing injuries that are in fact caused by these other factors. **We note that the***

Agreement uses the plural "injuries". This to us indicates that many factors may be injuring the industry in various ways. We consider that the authority is to examine and ensure that these other factors do not break the causal link that appeared to exist between dumped imports and material injury on the basis of an examination of the volume and effects of the dumped imports under Articles 3.2 and 3.4 of the AD Agreement.

7.252 The AD requirement requires that "a causal relationship" between dumped imports and material injury to the industry be demonstrated and that authorities in their examination of other factors causing injuries make sure that they do not mistake coincidence in time for a causal relationship. In this context, we consider the decision of the Panel in United States – Atlantic Salmon, a decision under the Tokyo Round AD Code, to be useful and persuasive on this issue. We note that the relevant language addressed by that Panel, concerning non-attribution of injuries caused by other factors to the dumped imports, is identical in Article 3:4 of the Tokyo Round Anti-Dumping Code to that in Article 3.5 of the AD Agreement."

108. Applied to the facts of the present case, the Authority notes that the landed price of imports from Indonesia is much lower than the selling price and cost of sales of the domestic industry, and the price of imports from China. The dumped imports from Indonesia have increased significantly during the period of investigation, as a result of such lower prices, gaining a share in the Indian market. The imports from Indonesia have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. Having regard to the same, it is concluded that the imports from Indonesia are causing injury to the domestic industry.
- b. Contraction in demand**
109. The demand for the subject goods has increased over the injury period. Hence, the injury to the domestic industry is not attributable to contraction in demand.
- c. Pattern of consumption**
110. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.
- d. Conditions of competition and trade restrictive practices**
111. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have cause injury to the domestic industry.
- e. Developments in technology**
112. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry could have suffered injury.

f. Productivity

113. The productivity of the domestic industry has increased in line with increase in production. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

g. Export performance of the domestic industry

114. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h. Performance of other products

115. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

G.3.5. Factors establishing causal link

116. While the above factors reveal that the injury to the domestic industry cannot be solely attributed to other factors, the Authority has also examined whether there is a causal link between the dumping of the subject goods from the subject country, and the injury to the domestic industry. The Authority notes as follows in this regard.

- a. While the imports from the subject country were quite low in the past, the same have increased significantly in the period of investigation.
- b. The subject imports have increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
- c. The increase in imports can be attributed to the much lower price of imports during this period.
- d. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry even when the domestic industry has sold the subject goods at losses in the Indian market.
- e. The subject imports are priced below the cost of sales of the domestic industry.
- f. While the cost of sales of the domestic industry has remained stable in the period of investigation as compared to the previous year, the selling price has declined due to decline in landed price of the subject imports.
- g. The domestic industry has submitted that it has been able to maintain its volume parameters only due to compromising on its profitability.
- h. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. The domestic industry has incurred losses in 2023-24 and the period of investigation.
- i. The losses of the domestic industry have increased in the period of investigation as compared to the losses in the previous year.
- j. The cash profits of the domestic industry have declined over the injury period.

- k. The return on capital employed of the domestic industry has declined significantly and the domestic industry has recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.
- l. The landed price of subject dumped imports has adversely impacted the prices in the Indian market.
- m. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

H. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

H.1. Submissions by other interested parties

117. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. Imposition of duties on imports of the product under consideration will inevitably lead to an increase in the cost of production for end-products manufactured by the downstream industry.
 - ii. As opposed to the claims of the domestic industry, forestry practices and alleged deforestation in Indonesia fall outside the scope of the anti-dumping investigation and cannot be used to infer dumping in India.
 - iii. Contrary to the submissions by the domestic industry, the Indian industry is not supporting the farmers in India and is importing pulp from APP Group. While the domestic industry has submitted that the Indonesian producers are engaged in deforestation, the Indian industry is itself importing pulp from Indonesian producers.

H.2. Submissions by the domestic industry

118. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. Public interest must be determined with regard to interests of (a) the domestic producer of like article, (b) the domestic consumers of the product, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, and (d) the general public.
 - ii. The impact should be seen on the end-consumer and not on processors/converters as the impact of increase in prices of the product is passed on by the converters to the final consumer.
 - iii. The lack of participation by importers and users shows that there is no adverse impact on the downstream industry.
 - iv. The impact of imposition of anti-dumping duty quantified by the domestic industry is negligible.

- v. The subject goods are not a raw material for manufacturing any downstream product and are used as packing material, book covers, and in publishing industry. Thus, the impact of imposition of anti-dumping duty will be minimal.
- vi. The negligible impact is evident from the fact that the price of the product under consideration even after imposition of anti-dumping duty will be lower than prices prevailing in 2021-22 and 2022-23.
- vii. The market situation is not conducive of any investment as the domestic industry has incurred losses in the period of investigation.
- viii. Imposition of measures would create security for 5,00,000 plus persons that seek employment in various sectors.
- ix. In case the dumping of the product under consideration in India continues, the volumes of the domestic industry will be adversely impacted which will have an adverse impact on farmers growing pulpwood.
- x. The pulp consumed by the domestic industry is made by Eucalyptus, Subabul, Acacia, Poplar, etc. which have several sustainable and environmental benefits and increase the green cover in the country and the restoration of degraded land.
- xi. There are no long-term contracts between buyers and suppliers of the product and the users can easily switch sources.
- xii. The quality of the product being supplied by the domestic industry is at par with the imported product. This is evident from the fact that the domestic industry holds major share in the Indian demand.
- xiii. Since the domestic industry has incurred losses, the viability of the Indian industry is under threat.
- xiv. NR Agarwal Industries Limited has started production of the product under consideration in July 2025, and the present capacity of the Indian industry is enough to cater to the entire demand in India.
- xv. While the producers in the subject countries undertake large scale deforestation, the Indian industry does not promote deforestation. Instead, wood is procured by the Indian industry from plantations which are supported and maintained by the Indian industry.
- xvi. The producers in the subject country are owned directly or indirectly by Chinese companies and have been getting various benefits from the Government of Indonesia as well as Government of China. This has destroyed the fair market conditions in the Indian market.

H.3. Examination by the Authority

119. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to offset injurious dumping and restore fair competition in the domestic market. Anti-dumping measures are not intended to restrict imports from the subject country, but to ensure that imports enter the Indian market at fair prices. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty may have an impact on prices; however, such measures are intended to remove the unfair advantage arising from dumping practices and establish a level playing field for all market participants. In this regard, the Hon'ble Supreme Court in

Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority & Ors. [(2006) 10 SCC 368] observed that dumping may provide transitory benefits to consumers in the short term on account of lower prices, but in the long run may adversely affect domestic industry and competition in the market.

120. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority notes that none of the users or importers of the product under consideration have participated in the present investigation and opposed imposition of anti-dumping duty. The non-participation of users demonstrates that the users are not adversely affected by the imposition of the duties.
121. The Authority notes that the product under consideration is not a raw material for manufacturing of any product. The product under consideration is used either for packaging or in publishing industry or book covers. Since the product under consideration is not a raw material, there will be negligible impact of imposition of anti-dumping duty on the prices of the downstream industry.
122. The domestic industry has submitted that the price of the downstream product does not change with change in price of the product under consideration. The same has not been disputed by other parties. It is noted, that in such a case, there will be no impact of imposition of the anti-dumping duty on the consumer industry in India. Further, as per the evidence on record, the imposition of anti-dumping duty will have a negligible impact on the end consumers. The Authority notes that the impact of imposition of anti-dumping duty is less than 0.6%.

Particulars	Unit	Soap 75 gm	Ice-cream 750ml	Hosiery Premium	Agarbatti 88gms
Price of downstream product	₹	50	150	300	55
VPB Consumed in one unit	KG	0.007	0.023	0.018	0.016
Landed price of VPB	₹/KG	54.67	54.67	54.67	54.67
Cost of VPB	₹	0.38	1.26	0.99	0.88
ADD (approx.)	₹/KG	20	20	20	20
Price of VPB after ADD	₹/KG	74.67	74.67	74.67	74.67
Cost of VPB	₹	0.52	1.72	1.34	1.19

Impact	₹	0.143	0.458	0.354	0.315
Impact	%	0.29%	0.31%	0.12%	0.57%

*Source: Applicant's petition and DGTR calculations

123. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty will not lead to shortage of the product under consideration in India. The capacities of the Indian industry are enough to cater to the entirety of the domestic demand in India. Further, NR Industries Limited has also started producing the subject goods in India and hence, the capacities of the Indian industry have increased post the period of investigation. While imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India, there is no demand-supply gap in the country. Thus, even if imports of the product under consideration cease post imposition of anti-dumping duty, there will be no shortage of availability of subject goods in India.

Particulars	Unit	POI
Capacity in India	MT	16,90,000
Demand	MT	***
Excess capacity available	MT	***

124. The domestic industry has further submitted that imposition of anti-dumping duty will secure employment generated by the Indian industry. The Indian industry is providing indirect employment to a number farmers in India. The Indian industry procures wood from plantations which are supported and maintained by the Indian industry. Farmers in surrounding areas of paper mills are encouraged to grow various varieties of wood used by the paper industry. The paper mills offer saplings, train farmers in farming the plants and also commit to procuring the wood once the tree has matured.

125. In view of the foregoing, the Authority concludes that the imposition of duty, if imposed, would be in consonance with public interest.

I. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS

I.1. Submissions by other interested parties

126. The interested parties have reiterated their submissions regarding absence of imports of liquid packaging board and solid bleach sulphate board, absence of injury to domestic industry in view of increase in volume parameters, existence of demand-supply gap, overlap between imposition of anti-dumping duty and MIP, and injury to the domestic industry being majorly attributable to imports from China. Further, the other interested parties have made the following submissions post issuance of the disclosure statement:

- i. The anti-dumping duty for RAPI should be based on lower of the injury margin and dumping margin determined by the Authority in the Disclosure Statement.
- ii. The Authority may confirm exclusion of Liquid Packaging Board and Solid Bleached Sulphate Board and Two-sided Artboard for printing application in the final findings.
- iii. In order to assess the demand-supply gap in India, the Authority cannot rely on the capacities of the Indian industry especially when the Indian industry produces both product under consideration and NPUC and the capacity utilization of the domestic industry is 100%. Since the domestic industry nearly accounts for entirety of Indian production and is already operating at full capacities, imports into India implies that certain part of demand is being met by imports and there exists a demand-supply gap in the market.
- iv. Rejection of recommendation of imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from China and Chile by Ministry of Finance shows that the Government is not in favour of imposition of overlapping measures in the form of anti-dumping duty and MIP.
- v. Anti-dumping duty should be levied in form of reference price as the same is similar to MIP and imposition of fixed or ad valorem duty would be prejudicial and unfair as the exporter will have to first export at prices equivalent to MIP and thereafter pay anti-dumping duty.
- vi. Since the performance of the domestic industry has improved due to imposition of MIP, MIP is sufficient protection to the domestic industry. Therefore, the Authority should examine the post-POI performance of the domestic industry before recommending anti-dumping duty.
- vii. Since there is demand-supply gap in the Indian market, reference price duties are appropriate. Further, in case of withdrawal of MIP, the domestic industry would continue receiving equivalent protection in form of reference price duties.
- viii. Imports from Indonesia account for negligible share of imports during the injury period and such volumes are insignificant to cause injury to the domestic industry.
- ix. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk have exported negligible quantity. Such negligible imports cannot be regarded as representative for determination of dumping margin and injury margin.
- x. It is the consistent practice of the Authority to reject the actual data for determination of individual margins where the exports made by producer/exporter is insignificant in volume and are priced higher. Such approach has been followed in the case of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes from Thailand and Vietnam; Fluoro Backsheet from China; Saccharin from China and Methyl Acetoacetate from China.

- x. The price injury of the domestic industry has been remedied after the period of investigation and due to imposition of MIP. Thus, post period of investigation performance of the domestic industry should be examined.
- xii. The INR has depreciated against USD post period of investigation and the import price has been inflated by 12% due to such decline. Thus, anti-dumping duty should be adjusted with regard to the depreciation of USD.
- xiii. In case, Authority recommends imposition of anti-dumping duty, it should be recommended for a limited period of two years so as to ensure that an unwarranted measure does not remain in force for an unduly prolonged period.
- xiv. The Authority has only mentioned PT Indah Kiat Pulp and Paper in the dumping margin and injury margin table. However, name of PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills should also be added to the duty table. This is essential as response of both entities has been examined for determination of dumping margin and injury margin. Producers belonging to the same group are granted the same duty as per the consistent practice of the Authority.

I.2. Submissions by domestic industry

127. The domestic industry has made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:
- i. PT Indah Kiat is not a producer of the product under consideration and exports only paper to India. Thus, it should not be granted individual duties.
 - ii. Imposition of anti-dumping duty is in public interest as the users have not entered into long-terms contracts and can change suppliers easily.
 - iii. There are no known differences between the product produced by the Indian industry and those imported from the subject country. Further, the Indian industry caters to majority of demand in India and the imports have increased only due to low prices offered by the exporters. Thus, the quality of the product produced by the domestic industry is equivalent to that imported into India.
 - iv. The domestic industry has suffered losses and of more than ₹ 150 crores due to dumping in India.

I.3. Examination by the Authority

128. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised in the post- disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those

backed up with sufficient evidence and considered relevant by the Authority are examined below.

129. With regard to the submission that the anti-dumping duty applicable to RAPI should be based on the lower of the injury margin and the dumping margin, the Authority notes that the duty has been imposed based on the lower of the injury margin and the dumping margin.
130. As regard exclusion of liquid packaging board and solid bleached sulphate board, the Authority in the relevant section has already examined in detail, that the settled practice of the Authority is to exclude a product type from the scope of the product under consideration only where the product is not produced by the domestic industry. In this regard, it is noted that the domestic industry has produced and sold liquid packaging board and solid bleached sulphate board in the domestic market during the period of investigation. Further, the product under consideration in the present investigation is Virgin Multi-layer Paperboards which are being imported into India. Liquid packaging board and solid bleached sulphate board are only types or grades of the product under consideration. Hence, the same has not been excluded by the Authority.
131. As regard exclusion of Two sided coated artboard for printing application, it is noted that Two sided coated artboard for printing application has been excluded from the scope of the product under consideration.
132. With regard to the submissions that the demand-supply gap has to be examined with regard to sales of the domestic industry and not the capacity of the domestic industry, the Authority notes that the overall capacity of the Indian industry is relevant to ascertain the ability of the domestic producers to cater to the demand in India. Further, in any case, the existence of demand-supply gap does not preclude the imposition of duty. The importers are free to import the product, irrespective of demand-supply gap, even after imposition of duty, provided such imports are at fair prices.
133. The Authority has examined the submissions concerning the existing Minimum Import Price (MIP). It is noted that MIP is temporary in nature, valid only up to 30.09.2026, and the domestic industry has submitted that the same was requested to be maintained only till imposition of anti-dumping duty. Therefore, the existence of MIP does not amount to double protection and does not obviate the need for anti-dumping duty. The MIP in force is below the cost of sales of the domestic industry, and the injury margin remains significant even if MIP is considered as the import price.
134. With regard to the submission that post period of investigation data should be examined, the Authority notes that dumping, injury and causal link are examined for the period of investigation. Performance of the domestic industry post the period of investigation is not relevant for the purpose of the present anti-dumping investigation.

135. The other interested parties have submitted that reference price duties should be levied in the present investigation. The Authority has recommended fixed form of anti-dumping duty taking into account the factual matrix of the case, and after examining the response from various interested parties.
136. As regard the submission that imposition of anti-dumping duty on Indonesia will be ineffective as major source of injury to the domestic industry is due to imports from China, the Authority notes that the landed price of imports from Indonesia is lower than the landed price of imports from China during the period of investigation. Since the domestic industry has suffered price injury, it has been forced to compete with the lowest prices in India. Thus, imposition of anti-dumping duty on imports from Indonesia will remedy the effect of dumping from Indonesia.
137. With regard to the submission of domestic industry for not granting individual anti-dumping duty to PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, as it has not exported PUC during POI, the Authority notes that the response filed by the said producer has been verified and it is observed that the said producer has produced and exported both folding box board as well as cup stock to India which are a part of the product under consideration. Accordingly, individual margins have been quantified based on the verified data for PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.
138. With regard to the claims made by the other interested party that no individual margin should be granted to negligible imports of PUC from subject country by one of the cooperating producer and exporter, it is noted that after examining the volume of the exports from the cooperating producer and exporter, the Authority has found it appropriate to grant individual margin to the cooperating producer and exporter.
139. With regard to depreciation of rupee against USD, the Authority notes that such developments are post period of investigation. The margins have been quantified based on data for the period of investigation and hence, the relevant exchange rate for the period of investigation has been considered. In any case, the depreciation of rupee does not impact the dumping margin. As regards the injury margin, part of the raw material consumed by the domestic industry is also imported and the depreciation of rupee shall also affect the non-injurious price in India. Finally, the Authority also notes that the foreign producers market their products in USD, and not in INR. That being the case, the since the product is transacted in USD, the depreciation of rupee is not relevant for the determination of quantum of duty.
140. As regards the submission relating to inadvertent disclosure of confidential information in the Disclosure Statement, the Authority notes that the submissions have been examined. Inadvertent clerical errors, wherever noticed, have been suitably rectified in these Final Findings.

141. The other interested parties have submitted that the duty if levied, should be limited to only for 2 years. The Authority notes that the other interested parties have not pointed out any circumstances or reasons for imposition of anti-dumping duty for a period less than 5 years. Accordingly, the Authority has recommended imposition of anti-dumping duty as per its consistent practice. In case there is a change in circumstances, warranting withdrawal of duty or modification in the quantum of duty, the interested parties may seek a mid-term review at such later stage.
142. The other interested parties have requested for inclusion of name of “PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills” in the duty table along with its related party PT Indah Kiat Pulp and Paper. The matter has been examined, and it is noted that PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills ("Pindo Deli") is a related entity of PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("Indah Kiat"), and during the Period of Investigation ("POI"), Pindo Deli exclusively sold and exported Two-Side Coated Artboard ("ATB") in both the Indonesian domestic market and to India. Since the Authority has excluded two-sided artboard when imported for printing purposes from the scope of the product under consideration ("PUC"), the domestic and export sales of ATB by Pindo Deli have not been included in the dumping margin calculation. Consequently, Pindo Deli does not qualify as a producer or exporter of the PUC during the POI for the purposes of the present investigation.
143. In view of the foregoing, the Authority is of the considered opinion that a Nil duty rate cannot be prescribed for Pindo Deli in the present investigation. The determination of an individual dumping margin, including a Nil duty rate, is premised upon the entity in question being an actual producer and/or exporter of the PUC during the POI. Since Pindo Deli has neither produced nor exported the PUC to India during the POI, it does not satisfy the foundational requirement for the grant of an individual duty rate. The mere fact that Pindo Deli is a related entity of Indah Kiat, which is a cooperating producer of the PUC, does not, by itself, entitle Pindo Deli to the benefit of a Nil or individual duty rate. A related entity that is not itself a producer or exporter of the PUC cannot be accorded the same treatment as a cooperating producer/exporter of the PUC. To hold otherwise would imply that all related entities of producer/exporter, whether or not they have produced and exported PUC to India, are entitled to Nil anti-dumping duty. Needless to say, such proposition is untenable and cannot be the requirement of Anti-dumping Rules. Accordingly, the Authority holds that no individual duty rate, including a Nil duty rate, be prescribed for PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills in the present investigation.

J. CONCLUSION

144. The Authority, upon examination of the issues raised in the course of the investigation, the submissions made by the interested parties and the facts and evidence available on record, concludes as follows:
- i. The product under consideration in the present investigation is:

“The product under consideration is multi-layer board made only of white / virgin wood pulp, whether coated or uncoated, and is also known as Virgin Multi-Layer Paperboard. The product under consideration is made up of multiple layers of paper bonded together. The product under consideration is made of pulp from fibre of trees. The product under consideration comes in various grades. The product under consideration includes Folding Box Board (FBB), Solid Bleached Sulfate Board (SBS), Cup Stock Paper or Board and Liquid Packaging Board, all in the range of 140 to 450 GSM. The scope of product under consideration excludes the following.

- i. Paperboards manufactured using recycled/brown pulp or fibre or a combination of recycled pulp and virgin pulp, regardless of the proportion.*
- ii. Coated/uncoated cigarette boards*
- iii. Two side coated artboard when imported for printing purposes*
- iv. Four or more layered paperboard, either coated, uncoated or laminated with plastic material, aluminium, or other metal for liquid packaging material.”*

- The product under consideration is made of 100% white/virgin wood pulp only.
 - The domestic industry has produced and sold liquid packaging board and solid bleached sulphate board in the domestic market during the period of investigation. Hence, the same has not been excluded by the Authority.
 - Two-sided coated artboard for printing application has been excluded from the scope of the product under consideration.
 - The domestic industry has not produced and sold four or more layered processed paperboard, coated or laminated with plastic material, aluminium, or other metals for liquid packaging material and the same has been excluded from the scope of the investigation.
- ii. The product produced by the domestic industry has been found to be a like article to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.
 - iii. The application has been filed by Indian Paper Manufacturers Association on behalf of all domestic producers in India. There are total of 6 producers in India, 5 of whom have provided detailed information for the purpose of the present investigation. West Coast Paper Limited has supported the application for imposition of anti-dumping duty.
 - iv. The applicant domestic producers constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

- v. The Authority has determined the normal value, export price, landed value, dumping margin and injury margin for the cooperating producer/exporters on the basis of the verified information available on record.
- vi. PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills is a producer of artboard and has exported the same to India. Since the said product has been excluded from the scope of the product under consideration, and the producer has not produced and sold the product under consideration, accordingly, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills has not been granted individual duty in the present investigation.
- vii. The dumping margin for the subject country is positive and significant.
- viii. The domestic industry has suffered material injury, as can be seen from the following.
 - a. The volume of subject imports has increased significantly over the injury period in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.
 - b. While there were negligible imports of the subject goods from the subject country till 2023-24, the imports have increased significantly in 2024-25.
 - c. The subject imports have increased at a pace higher than rate of increase in demand.
 - d. Imports are undercutting the prices of the domestic industry and the price undercutting is positive and significant.
 - e. The landed price of imports from the subject country is the lowest amongst all major exporting countries. The domestic industry is forced to compete with the lowest prices of imports into India.
 - f. The subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. The domestic industry has been forced to reduce its selling prices more than the decline in its cost of sales.
 - g. The installed capacity and production of the domestic industry has increased in the injury period.
 - h. The market share of the subject imports has increased over the injury period.
 - i. The inventories of the domestic industry have increased significantly over the injury period. Even though the domestic industry has sold the subject goods at losses, the inventories have increased.
 - j. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. The domestic industry has incurred financial losses during the period of investigation.
 - k. The cash profits and return on capital employed of the domestic industry has declined significantly over the injury period.
 - l. The domestic industry has recorded a negative return on capital employed during the period of investigation.
 - m. The interest and depreciation cost of the domestic industry has declined over the injury period.

- n. The subject imports are priced below the selling price and cost of sales of the domestic industry and have adversely impacted the prices of the domestic industry.
 - o. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.
 - p. The landed price of imports is below the non-injurious price of the domestic industry. The injury margin determined for the subject country is positive and significant.
 - q. The injury to the domestic industry is due to dumping in the Indian market. No other known factor has caused injury to the domestic industry.
 - r. While imports from China PR are more than imports from Indonesia, the landed price of Indonesia is lower than that of imports from China PR. The domestic industry is competing with the lowest price of imports in the Indian market.
 - s. There is a causal link between dumping of subject goods from the subject country and injury to the domestic industry.
- ix. The Authority has examined all known factors in accordance with Annexure II to the Anti-Dumping Rules and concludes that the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country. Demand increased, productivity improved, there was no adverse change in technology or pattern of consumption, and injury has been examined with reference to domestic operations. Imports from Finland and Sweden were priced higher, Chile imports were de-minimis, and although China imports existed, Indonesian landed price was lower than China by ₹4,147/MT. Other known factors examined by the Authority do not detract from the causal link established between the dumped imports and the material injury suffered by the domestic industry.
- x. The Authority has examined the submissions concerning the existing Minimum Import Price (MIP). It is noted that MIP is temporary in nature, valid only up to 30.09.2026, and the domestic industry has submitted that the same was requested to be maintained only till imposition of anti-dumping duty. Therefore, the existence of MIP does not amount to double protection and does not obviate the need for anti-dumping duty. The MIP in force is below the cost of sales of the domestic industry, and the injury margin remains significant even if MIP is considered as the import price.
- xi. The imposition of anti-dumping duty would not be against the public interest for the following reasons:
- a. The product under consideration is primarily used for packaging purposes and is not a raw material for the manufacture of downstream products.

- b. No user, consumer or importer has participated in the present investigation or filed a questionnaire response.
 - c. The Authority has examined the impact of the recommended anti-dumping duty on the downstream industry and consumers. The quantified impact of the duty on downstream products is less than 0.6%. Further, the domestic industry has an installed capacity of 16,90,000 MT against the demand of *** MT, leaving an excess capacity of *** MT. Accordingly, the imposition of anti-dumping duty is not likely to create any demand-supply gap in the domestic market, and its impact on the downstream industry and consumers is expected to be minimal.
- xii. In view of the above, the Authority considers it necessary to recommend the imposition of definitive anti-dumping duty on dumped and injurious imports of the product under consideration originating in or exported from the subject country, excluding exporters/producers having negative dumping margin or negative injury margin and excluding product types outside the scope of the product under consideration, so as to remove the injury caused to the domestic industry and to restore fair competition in the domestic market.

K. RECOMMENDATION

145. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, known exporters, known importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of the recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the product under consideration originating in or exported from Indonesia.
146. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the product under consideration, originating in or exported from Indonesia for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4805 and 4810*	Virgin Multi-layer Paperboard**	Indonesia	Any country including Indonesia	PT Riau Andalan Paperboard International	261	MT	USD
2	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Nil	-	-
3	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer other than S. No. 1 or 2	376	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than Indonesia	Indonesia	Any	376	MT	USD

**The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.*

***“The product under consideration is multi-layer board made only of white / virgin wood pulp, whether coated or uncoated, and is also known as Virgin Multi-Layer Paperboard. The product under consideration is made up of multiple layers of paper bonded together. The product under consideration is made of pulp from fibre of trees. The product under consideration comes in various grades. The product under consideration includes Folding Box Board (FBB), Solid Bleached Sulfate Board (SBS), Cup Stock Paper or Board and Liquid Packaging Board, all in the range of 140 to 450 GSM. The scope of product under consideration excludes the following.*

- i. Paperboards manufactured using recycled/brown pulp or fibre or a combination of recycled pulp and virgin pulp, regardless of the proportion.*
 - ii. Coated/uncoated cigarette boards*
 - iii. Two side coated artboard when imported for printing purposes*
 - iv. Four or more layered paperboard, either coated, uncoated or laminated with plastic material, aluminium, or other metal for liquid packaging material.”*
- *Two sided coated artboard for printing application has been excluded from the scope of the product under consideration.*

Note – The application of the individual duty rates specified for the producers mentioned in the above table shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid

commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to the India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in [country concerned]. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.”

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

L. FURTHER PROCEDURE

147. An appeal against the order of the Central Government arising out of these Final Findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority